रजिस्टर्ड नं०–एडी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 05 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 15, 1947 शक संवत्) [संख्या 14

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग.अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0			रु0
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	145—152	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	355—376	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय					
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	407—449	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राजस्व विभाग

अनुभाग–8

प्रोन्नति

14 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 I/796669/1-8001/4/2024/एक-8-2024-रा0-8–श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री आलोक कुमार, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जनपद प्रयागराज को वर्तमान तैनाती के जनपद में उप संचालक चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 6,600/–, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री आलोक कुमार, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही उप संचालक चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री आलोक कुमार, नवप्रोन्नत उप संचालक चकबन्दी की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796672/1-8001/4/2024/एक-8-2024-रा0-8–श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री मातादीन मौर्य, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जनपद हाथरस को वर्तमान तैनाती के जनपद में उप संचालक चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 6,600/–, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री मातादीन मौर्य, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही उप संचालक चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री मातादीन मौर्य, नवप्रोन्नत उप संचालक चकबन्दी की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796676/1-8001/4/2024/एक-8-2024-रा0-8–श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री अनिल कुमार, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जनपद आजमगढ़ को वर्तमान तैनाती के जनपद में उप संचालक चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 6,600/–, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री अनिल कुमार, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही उप संचालक चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री अनिल कुमार की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796681/1-8001/4/2024/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री शशिकान्त शुक्ला, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जनपद गोरखपुर को वर्तमान तैनाती के जनपद में उप संचालक चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 6,600/—, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री शशिकान्त शुक्ला, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही उप संचालक चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री शशिकान्त शुक्ला की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796867/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री प्रेम प्रकाश भारती, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-5) हरदोई को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/—, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री प्रेम प्रकाश भारती, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री प्रेम प्रकाश भारती की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796871/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री देवेन्द्र सिंह रायपा, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-18) बरेली को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/—, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री देवेन्द्र सिंह रायपा, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री देवेन्द्र सिंह रायपा की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796873/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-28) बलिया को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/—, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796876/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री अजय कुमार वर्मा, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-56) शाहजहांपुर को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/—, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री अजय कुमार वर्मा, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री अजय कुमार वर्मा की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796879/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री विमल कुमार, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-67) हमीरपुर को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/—, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री विमल कुमार, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री विमल कुमार की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796881/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री अशोक कुमार, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-68) अमरोहा को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/—, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री अशोक कुमार, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री अशोक कुमार की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796883/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री जगदीश कुमार, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-69) बलिया को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/—, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री जगदीश कुमार, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री जगदीश कुमार की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796888/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8–श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री भवानीदीन वर्मा, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-72) कानपुर देहात को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/–, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री भवानीदीन वर्मा, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री भवानीदीन वर्मा की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796892/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8–श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री कोदई राम, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-73) ललितपुर को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/–, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री कोदई राम, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री कोदई राम की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796894/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8–श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्रीमती मन्जूलता, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-74) मथुरा को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/–, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्रीमती मन्जूलता, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्रीमती मन्जूलता की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796896/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8–श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री हरिवंश कुमार मिश्रा, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-77) औरैया को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/–, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री हरिवंश कुमार मिश्रा, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री हरिवंश कुमार मिश्रा की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796899/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री परमानन्द श्रीवास्तव, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-78) हरदोई को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/–, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री परमानन्द श्रीवास्तव, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री परमानन्द श्रीवास्तव की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796903/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री पंकज कुमार, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-84) सिद्धार्थनगर को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/–, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री पंकज कुमार, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री पंकज कुमार की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796905/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री मसूदुल हसन नकवी, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-85) बहराइच को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/–, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री मसूदुल हसन नकवी, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री मसूदुल हसन नकवी की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796909/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-86) कानपुर देहात को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/–, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796912/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री रामकुमार गुप्ता, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-87) खीरी को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/—, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री रामकुमार गुप्ता, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री रामकुमार गुप्ता की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 I/796919/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री अरविन्द द्विवेदी, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-89) बहराइच को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/—, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री अरविन्द द्विवेदी, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री अरविन्द द्विवेदी की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-5

07 मार्च, 2025 ई0

सं0—103/81-5-2025/1720977—जैवविविधता अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2003) की धारा-22 की उप धारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या—1498/14-5-2006-57/2006 दिनांक 20 सितम्बर, 2006 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ''उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड'' की स्थापना की गयी है। उक्त अधिनियम की धारा-22 (4) (ग) के अन्तर्गत ''उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड'' में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1808/81-5-2020-57/2006 दिनांक 20 जुलाई, 2020 द्वारा पाँच गैर सराकारी विशेषज्ञ सदस्य नामित किये गये थे, जिनका कार्यकाल दिनांक 19 जुलाई, 2023 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप पूर्व नामित पाँच गैर सरकारी विशेषज्ञ सदस्यों के स्थान पर निम्नलिखित पाँच गैर सरकारी विशेषज्ञ सदस्य अपनी नियुक्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से अगले तीन वर्ष की अवधि हेतु नामित किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

क्र0 सं0	गैर सराकारी विशेषज्ञ सदस्य के नाम	पद नाम
1	2	3
1	श्री संजय सिंह	से0 नि0, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2	डा0 अतुल कुमार सिंह	से0नि0, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेट ऑफ कोल्ड वॉटर फिशरीज रिसर्च, भीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3	डा0 लाल बाबू चौधरी	से0नि0 वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
4	डा0 एस0के0 श्रीवास्तव	से0नि0 साइंटिस्ट ई, संयुक्त निदेशक, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, लखनऊ।
5	डा0 आर0 सी0 चौधरी	चेरमैन, पार्टीसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउण्डेशन, गोरखपुर।

आज्ञा से,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–1 हिन्दी गजट–भाग 1–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 05 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 15, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144 दं0प्र0सं0

18 मई, 2024 ई0

सं0 वाचक/संयुक्त पुलिस आयुक्त-07/2024/1755–दिनांक 23 मई, 2024 को बुद्ध पूर्णिमा, दिनांक 28 मई, 2024 को प्रथम बड़ा मंगल, दिनांक 04 जून, 2024 द्वितीय बड़ा मंगल, दिनांक 11 जून, 2024 को तृतीय बड़ा मंगल, दिनांक 18 जून, 2024 को चतुर्थ बड़ा मंगल व दिनांक 17/18 जून, 2024 को ईद-उल-अजहा (बकरीद) आदि पर्व आयोजित होंगे, साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षायें आयोजित की जायेंगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता लागू है, वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। मैं, उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ यह उचित समझता हूँ कि धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ तथा जन सामान्य में कोविड के दृष्टिगत भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ–

1– विधानभवन की परिधि एवं निम्नलिखित स्थानों व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ताँगागाड़ी तथा आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा–

1– लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहे तक।

2– बन्दरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुये सिविल अस्पताल चौराहे तक।

3– सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।

4– नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुये बर्लिंग्टन चौराहा तक।

5– बर्लिंग्टन चौराहे से सदर कैण्ट पुल होते हुये उदयगंज तिराहा तक।

6– उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुये लाल बत्ती चौराहा तक।

उक्त परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश अथवा इस परिधि में धरना प्रदर्शन किये जाने पर धारा-144 सीआरपीसी का उल्लंघन मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।

2– सरकारी दफ्तरों व विधान भवन के ऊपर व आसपास एक किमी0 परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।

3– लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य स्थान पर बिना अनुमति आयोजित करने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु इकोगार्डन निर्धारित किया गया है।

4– कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों मे यथाआवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

5– किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों/अन्य आयोजनों पर लाउड-स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं इस निमित्त प्राविधानित विधिक प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन/रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

6– मन्दिर/मस्जिद/गुरूद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तार धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेगा।

7– सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

8– कोई भी व्यक्ति लखनऊ की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अन्धे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे–तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नही चलेगा और न ही किसी

सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/अर्द्धसैनिक बल एवं अन्य अनुमन्य व्यक्तियों पर ये प्रतिबन्ध ड्यूटी निर्वहन में लागू नहीं होंगे।

9– कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नही लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम व उत्तेजनात्मक भाषण नही देगा तथा मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो एवं शान्ति भंग होने की आशंका हो। यह कृत्य दण्डनीय अपराध है।

10– कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

11– लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन/वितरण जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो या अश्लीलता प्रचारित/प्रसारित होती हो, नहीं करेगा।

12– सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट, पोस्ट नही करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुये सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा।

13– लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे चाइनीज मांझे/तार से पंतग बाँध कर नहीं उड़ायेगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति या सम्पत्ति का नुकसान हो।

14– लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो।

15– लखनऊ में सभी निजी कम्पनियाँ/सेवा प्रदाता जो वितरण कर्मचारी रखते हैं, जैसे–जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट व अन्य ऑनलाइन कम्पनी जिनके द्वारा घरों पर भोजन/दवा व अन्य वस्तुओं की डिलीवरी दी जाती है, के नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ कमिश्नरेट में स्थित है वह बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी/किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी/किरायेदार का नाम पता तस्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता/मकान मालिक के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्यवाही की जा सकेगी।

16– लखनऊ पुलिस द्वारा चलाये जा रहे ई-रिक्शा मालिकों एवं चालकों का सत्यापन अभियान के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में जानकारी भरकर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। ई-रिक्शा सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाईन लखनऊ पुलिस की वेबसाईट http://lucknowpolice.up.gov.in के माध्यम से संचालित की जा रही है।

17– लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति को, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र जैसे परिचय -पत्र, मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग

लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण-पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक/प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके, संचालित नहीं किया जायेगा।

18– परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं/अनुचित साधन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में 200 गज की परिधि में अनावश्यक प्रवेश निषेध रहेगा ।

19– कोविड-19 के दृष्टिगत वर्तमान में प्रचलित उ0प्र0 शासन व भारत सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू के सम्बन्ध में निर्गत गाइड लाइन का पूर्णतया पालन कराया जाय।

20– लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत सभी राजनैतिक पार्टियों तथा उक्त चुनाव से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध समस्त व्यक्तियों/कार्यकर्ताओं/संगठनों/संघों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया अनुपालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की स्वयं होगी।

चूंकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है इसलिये समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या समस्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 16 जुलाई, 2024 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने के साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जायेगा।

इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा।

आज दिनांक मई 18, 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया।

उपेन्द्र कुमार अग्रवाल,
संयुक्त पुलिस आयुक्त,
कानून एवं व्यवस्था,
लखनऊ।

आगरा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

10 जुलाई, 2024 ई0

सं0 346/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानू चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि संरक्षित गौवंशों के लिए एस0एफ0सी0 पूलिंग हेतु ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' के निर्माण हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर निराश्रित गोवंश के लिए ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त एवं निष्प्रभावी हो जायेगा—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट संख्या	गाटा/प्लॉट क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	बाह	बाह	फतेहपुरा	308/1	1.1770 में से 1.0000	5(1) नवीन परती	पशु पालन विभाग के नाम ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' की स्थापना हेतु

सं0 347/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानू चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-पंचायत

के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि संरक्षित गौवंशों के लिए एस0एफ0सी0 पूलिंग हेतु ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' के निर्माण हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ–

1– पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2– यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर निराश्रित गोवंश के लिए ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त एवं निष्प्रभावी हो जायेगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा / प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण / प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	बाह	बाह	विक्रमपुर	108जी	41.4880 में से 1.0000	5-3-ख बंजर	पशु पालन विभाग के नाम ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' की स्थापना हेतु

सं0 348 / डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानू चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि संरक्षित गौवंशों के लिए एस0एफ0सी0 पूलिंग हेतु ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' के निर्माण हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ–

1– पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2– यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर निराश्रित गोवंश के लिए ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त एवं निष्प्रभावी हो जायेगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट संख्या	गाटा/प्लॉट क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	बाह	बाह	बलाई	1120द	6.1880 में से 1.0000	5(1) नवीन परती	पशु पालन विभाग के नाम ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' की स्थापना हेतु

सं0 349/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानू चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि संरक्षित गौवंशों के लिए एस0एफ0सी0 पूलिंग हेतु ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' के निर्माण हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर निराश्रित गोवंश के लिए ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त एवं निष्प्रभावी हो जायेगा—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट संख्या	गाटा/प्लॉट क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	खेरागढ़	खेरागढ़	नगला दूल्हे खां	380	0.7840	5(1) नवीन परती	पशु पालन विभाग के नाम ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' की स्थापना हेतु
					381	0.1380		
					382	0.2890		
					योग. .	**1.2110**		

सं0 350/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानू चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि संरक्षित गौवंशों के लिए एस0एफ0सी0 पूलिंग हेतु ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' के निर्माण हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर निराश्रित गोवंश के लिए ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त एवं निष्प्रभावी हो जायेगा—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट संख्या	गाटा/प्लॉट क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	खेरागढ़	खेरागढ़	धनीना	786ख	31.5620 में से 1.0000	5(3)(ड़) बंजर	पशु पालन विभाग के नाम ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' की स्थापना हेतु

सं0 351/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानू चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि संरक्षित गौवंशों के लिए एस0एफ0सी0 पूलिंग हेतु ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' के निर्माण हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1– पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2– यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर निराश्रित गोवंश के लिए ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त एवं निष्प्रभावी हो जायेगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	खेरागढ़	खेरागढ़	भिड़ावली	09	1.3270 में से 1.0000	5(3)(ड़) बंजर	पशु पालन विभाग के नाम ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' की स्थापना हेतु

सं0 352/डी0एल0आर0सी0– उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानू चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि संरक्षित गौवंशों के लिए एस0एफ0सी0 पूलिंग हेतु ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' के निर्माण हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ–

1– पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2– यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर निराश्रित गोवंश के लिए ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त एवं निष्प्रभावी हो जायेगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा / प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण / प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	खेरागढ़	खेरागढ़	बमनई कलां	919/9	4.7260 में से 1.1725	5(3)(ड़) बंजर	पशु पालन विभाग के नाम ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' की स्थापना हेतु

11 जुलाई, 2024 ई0

सं0 359/डी0एल0आर0सी0– उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानू चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि संरक्षित गौवंशों के लिए एस0एफ0सी0 पूलिंग हेतु ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' के निर्माण हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ–

1– पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2– यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर निराश्रित गोवंश के लिए ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त एवं निष्प्रभावी हो जायेगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा / प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण / प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	शाहवेद	1189क	4.9550 में से 1.0000	6-(4) रेत	पशु पालन विभाग के नाम ''वृहद गौ संरक्षण केन्द्र'' की स्थापना हेतु

भानु चन्द्र गोस्वामी,
जिलाधिकारी-आगरा।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

कार्यालय, जिलाधिकारी मथुरा

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत

राजस्व विभाग

अधिसूचना

11 फरवरी, 2025 ई0

सं0 1186/वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2025—चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-457/वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2024 दिनांक 06 जुलाई, 2024 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से वृन्दावन (पागल बाबा मन्दिर) तक (अ0जि0मा0) 04 लेन मार्ग के निर्माण (लम्बाई 7.278 कि0मी0) एवं मार्ग निर्माण के संरेखण में आ रही यमुना नदी पर 02 लेन सेतु के निर्माण कार्य हेतु जिला मथुरा तहसील मांट स्थित राजस्व ग्राम ढकू एवं ग्राम पानीगांव बांगर में अर्जित की जाने वाली कुल 1.734987 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं0-30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-11 की उप-धारा (1) के अधीन निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 16 जुलाई, 2024 को प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं था।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन परन्तुक अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति) की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् अधिसूचना सं0-491/एक-13-2014-7क (51)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके कलेक्टर मथुरा उक्त अधिनियम की धारा-19 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि प्रदत्त अनुसूची ''क'' में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची ''ख'' में यथा—प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से वृन्दावन (पागल बाबा मन्दिर) तक (अ0जि0मा0) 04 लेन मार्ग के निर्माण (लम्बाई 7.278 कि0मी0) एवं मार्ग निर्माण के संरेखण में आ रही यमुना नदी पर 02 लेन सेतु के निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची ''क''

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मथुरा	मांट	मांट	ढकू	02मि0	0.006072
			पानीगांव बांगर	777	0.648785
				774 मि0	0.0519
				773	0.0887
				772 मि0	0.77223
				259 मि0	0.1673
				योग. .	**1.728915**
				कुल योग. .	**1.734987**

अनुसूची ''ख''

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मथुरा	मांट	मांट	ढकू	शून्य	शून्य
			पानीगांव बांगर	शून्य	शून्य

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कार्यालय जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति अनुभाग), मथुरा में देखा जा सकता है।

चन्द्र प्रकाश सिंह,
कलेक्टर/प्राधिकृत अधिकारी,
मथुरा।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, MATHURA

REVENUE DEPARTMENT

Declaration by Appropriate Government/Collector

(Under Sub-Section (1) of Section 19 of the Act)

Notification

February 11, 2025

No. 1186/S.L.A.O./J.O./MATHURA/2025–Whereas preliminary notification No. 457/S.L.A.O/ J.O./Mathura/2024 dated 06-07-2024 was issued under Sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), in respect of 0.006072 hectare of land in Village-Dhaku and 1.728915 hectare of land in Village-Panigaon Bangar Tehsil-Mant, District-Mathura required for public purpose for construction of 04 lane road (length 7.278 Km.) from Yamuna Expressway to Vrindavan (Pagal Baba Temple) (O.D.R.) and for construction of 02 lane bridge on Yamuna river lying in the alignment of the road construction in District-Mathura and lastly published on 16-07-2024. There is no family likely to be displaced due to land acquisition for the above said project. Hence there was no need to appoint Administrator for the purpose of Rehabilitation & Resettlement of the Project affected families.

Now, therefore, after considering the report of the Collector (Land Acquisition) submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of Section 15 of the said Act, in exercise of the powers conferred by the Governor *vide* Notification No. 491/I-13-2014-7ka(51)/ 2014 Lucknow, Dated August 06, 2014, the Collector Mathura declares under Section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and no land in the Village, Pargana and District as given in Schedule "B" has been identified for Rehabilitation & Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

No family is likely to be displaced due to land acquisition for construction of construction of 04 lane road (length 7.278 Km.) from Yamuna Expressway to Vrindavan (Pagal Baba Temple) (O.D.R.) and for construction of 02 lane bridge on Yamuna river lying in the alignment of the road construction in District-Mathura. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement and publication of summary of Rehabilitation & Resettlement Scheme.

SCHEDULE "A"

(Land Under Poposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Mathura	Mant	Mant	Dhaku	2 Mi	0.006072
Do.	Do.	Do.	Panigaon Bangar	777	0.648785
Do.	Do.	Do.	Do.	774 Mi	0.0519
Do.	Do.	Do.	Do.	773	0.0887
Do.	Do.	Do.	Do.	772 Mi	0.77223
Do.	Do.	Do.	Do.	259 Mi	0.1673
				Total . .	**1.728915**
				Grand Total . .	**1.734987**

SCHEDULE "B"

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area acquired earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Mathura	Mant	Mant	Dhaku	Nil	Nil
Do.	Do.	Do.	Panigaon Bangar	Do.	Do.

(No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project)

NOTE- The site map of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

Chandra Prakash Singh,
Collector/Authorised Officer,
Mathura.

कार्यालय, जिलाधिकारी मथुरा

17 फरवरी, 2025 ई0

सं0 1199/वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2025—चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-694/वि0भू0अ0अ0/सं0 सं0/मथुरा/2024 दिनांक 24 सितम्बर, 2024 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जनपद मथुरा में बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के अन्तर्गत हथौड़ा से अड्डा मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु जिला मथुरा तहसील महावन स्थित राजस्व ग्राम—हथौड़ा में अर्जित की जाने वाली कुल 0.197463 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं0-30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-11 की उप-धारा (1) के अधीन निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 07 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं था।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन परन्तुक अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति) की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् अधिसूचना सं0-491/एक-13-2014-7क (51)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके कलेक्टर मथुरा उक्त अधिनियम की धारा-19 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि प्रदत्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा—प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

जनपद मथुरा में बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के अन्तर्गत हथौड़ा से अड्डा मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची ''क''

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मथुरा	महावन	महावन	हथौड़ा	285	0.0014
				416	0.0101
				427 मि0	0.001463
				431	0.00275
मथुरा	महावन	महावन	हथौड़ा	435	0.00275
				432	0.0094
				434	0.0060
				437	0.0097
				451	0.1300
				455	0.0239
				योग. .	**0.197463**

अनुसूची ''ख''

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मथुरा	महावन	महावन	हथौड़ा	शून्य	शून्य

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कार्यालय जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति अनुभाग), मथुरा में देखा जा सकता है।

चन्द्र प्रकाश सिंह,
कलेक्टर/प्राधिकृत अधिकारी,
मथुरा।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, MATHURA
REVENUE DEPARTMENT

Declaration by Appropriate Government/Collector
(Under Sub-Section (1) of Section 19 of the Act)

Notification

February 17, 2025

No. 1199/S.L.A.O./J.O./MATHURA/2025–Whereas preliminary notification No. 694/S.L.A.O/ J.O./Mathura/2024 dated 24-09-2024 was issued under Sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), in respect of 0.197463 hectare of land in Village-Hathoda, Tehsil-Mahavan, District-Mathura required for public purpose for construction work of Road from Hathoda to Adda lying under Brij Chaurasi Kos Parikrama Marg in District-Mathura and lastly published on 07-12-2024. There is no family likely to be displaced due to land acquisition for the above said project. Hence there was no need to appoint Administrator for the purpose of Rehabilitation & Resettlement of the Project affected families.

Now, therefore, after considering the report of the Collector (Land Acquisition) submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of Section 15 of the said Act, in exercise of the powers conferred by the Governor *vide* Notification No. 491/I-13-2014-7ka(51)/ 2014 Lucknow, Dated August 06, 2014, the Collector-Mathura declares under Section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and no land in the Village, Pargana and District as given in Schedule "B" has been identified for Rehabilitation & Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

No family is likely to be displaced due to land acquisition for construction work of Road from Hathoda to Adda lying under Brij Chaurasi Kos Parikrama Marg in District-Mathura. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement and publication of summary of Rehabilitation & Resettlement Scheme.

SCHEDULE "A"

(Land Under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Mathura	Mahavan	Mahavan	Hathoda	285	0.0014
Do.	Do.	Do.	Do.	416	0.0101
Do.	Do.	Do.	Do.	427Mi	0.001463
Do.	Do.	Do.	Do.	431	0.00275
Do.	Do.	Do.	Do.	435	0.00275
Do.	Do.	Do.	Do.	432	0.0094
Do.	Do.	Do.	Do.	434	0.0060
Do.	Do.	Do.	Do.	437	0.0097
Do.	Do.	Do.	Do.	451	0.1300
Do.	Do.	Do.	Do.	455	0.0239
				Total . .	**0.197463**

SCHEDULE "B"

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area acquired earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Mathura	Mahavan	Mahavan	Hathoda	Nil	Nil

(No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project)

NOTE- The site map of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

Chandra Prakash Singh,
Collector/Authorised Officer,
Mathura.

कार्यालय, जिलाधिकारी मथुरा

25 फरवरी, 2025 ई0

सं0 1253/वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2025–चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-693/वि0भू0अ0अ0/सं0 सं0/मथुरा/2024 दिनांक 24 सितम्बर, 2024 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जनपद–मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के चारों ओर सर्विस रोड के निर्माण हेतु जिला–मथुरा तहसील गोवर्धन स्थित राजस्व ग्राम-गोवर्धन ब्राह्मणान/क्षे0 0.093199 हेक्टेयर, गोवर्धन गोरवा/क्षे0 0.707000 हेक्टेयर, आन्यौर/क्षे0 1.819423 हेक्टेयर, जतीपुरा/क्षे0 0.302996 हेक्टेयर, सकीतरा/क्षे0 1.020000 हेक्टेयर एवं राधाकुण्ड/क्षे0 0.193600 हेक्टेयर तद्नुसार कुल 4.136218 हेक्टेयर, अर्जित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं0-30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं था।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन परन्तुक अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति) की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् अधिसूचना सं0-491/एक-13-2014-7क (51)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके कलेक्टर, मथुरा उक्त अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि प्रदत्त अनुसूची ''क'' में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है और अनुसूची ''ख'' में यथा–प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिये चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

जनपद-मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के चारों ओर सर्विस रोड के निर्माण हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची ''क''

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मथुरा	गोवर्धन	गोवर्धन	गोवर्धन ब्राह्मणान	773	0.024000
,,	,,	,,	,,	784	0.062303
,,	,,	,,	,,	814	0.006896
,,	,,	,,	,,	**योग. .**	**0.093199**
,,	,,	,,	गोवर्धन गोरवा	324	0.317000
,,	,,	,,	,,	325	0.350000
,,	,,	,,	,,	**योग. .**	**0.667000**
			आन्यौर	72	0.160000
,,	,,	,,	,,	88	0.034200
,,	,,	,,	,,	130	0.360000
,,	,,	,,	,,	225	0.120000
,,	,,	,,	,,	343	0.068000
,,	,,	,,	,,	381	0.007000
,,	,,	,,	,,	386	0.061600
,,	,,	,,	,,	396	0.120000
,,	,,	,,	,,	397	0.312000
,,	,,	,,	,,	398	0.013600
,,	,,	,,	,,	93	0.034600
,,	,,	,,	,,	96	0.114891
,,	,,	,,	,,	153	0.041332
,,	,,	,,	,,	379	0.016000
,,	,,	,,	,,	318	0.016000
,,	,,	,,	,,	**योग. .**	**1.479223**
			जतीपुरा	310	0.011200
,,	,,	,,	,,	338	0.056000
,,	,,	,,	,,	348	0.003200
,,	,,	,,	,,	347	0.050414
,,	,,	,,	,,	404	0.010800
,,	,,	,,	,,	**योग. .**	**0.131614**

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मथुरा	गोवर्धन	गोवर्धन	सकीतरा	249	0.152000
,,	,,	,,	,,	257	0.298000
,,	,,	,,	,,	329	0.080000
,,	,,	,,	,,	470	0.200000
,,	,,	,,	,,	651	0.080000
,,	,,	,,	,,	669	0.100000
,,	,,	,,	,,	438	0.010000
				योग. .	**0.920000**
			राधाकुण्ड	785	0.028000
,,	,,	,,	,,	834	0.096000
,,	,,	,,	,,	837	0.025600
,,	,,	,,	,,	877	0.044000
				योग. .	**0.193600**
				कुल योग. .	**3.484636**

अनुसूची ''ख''

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मथुरा	गोवर्धन	गोवर्धन	गोवर्धन ब्राह्मणान	शून्य	शून्य
''	''	''	गोवर्धन गोरवा	''	''
''	''	''	आन्यौर	''	''
''	''	''	जतीपुरा	''	''
''	''	''	सकीतरा	''	''
''	''	''	राधाकुण्ड	''	''

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कार्यालय जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति अनुभाग), मथुरा में देखा जा सकता है।

चन्द्र प्रकाश सिंह,
कलेक्टर/प्राधिकृत अधिकारी,
मथुरा।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, MATHURA

REVENUE DEPARTMENT

Declaration by Appropriate Government/Collector

(Under Sub-section (1) of Section 19 of the Act)

Notification

February 25, 2025

No. 1253/S.L.A.O./J.O./MATHURA/2025–Whereas preliminary notification No. 693/S.L.A.O/ J.O./Mathura/2024 dated 24-09-2024 was issued under Sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), in respect of area 0.093199 hectare of land in Village-Govardhan Brahmanan, area 0.707000 hectare of land in Village-Govardhan Gorwa, area 1.819423 hectare of land in Village-Anyaur, area 0.302996 hectare of land in Village-Jatipura, area 1.020000 hectare of land in Village-Sakeetara and area 0.193600 hectare of land in Village- Radhakund Total land area of 4.136218 hectare Tehsil Govardhan, District-Mathura required for public purpose for construction of service road around Govardhan Parikrama Marg in District-Mathura and lastly published on 21-12-2024. There is no family likely to be displaced due to land acquisition for the above said project. Hence there was no need to appoint Administrator for the purpose of Rehabilitation & Resettlement of the Project affected families.

Now, therefore, after considering the report of the Collector (Land Acquisition) submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of Section 15 of the said Act, in exercise of the powers conferred by the Governor *vide* Notification No. 491/I-13-2014-7ka(51)/ 2014 Lucknow, Dated August 06, 2014, the Collector-Mathura declares under Section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and no land in the Village, Pargana and District as given in Schedule "B" has been identified for Rehabilitation & Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

No family is likely to be displaced due to land acquisition for construction of service road around Govardhan Parikrama Marg in District-Mathura. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement and publication of summary of Rehabilitation & Resettlement Scheme.

SCHEDULE “A”

(Land Under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Mathura	Govardhan	Govardhan	Govardhan Brahmanan	773	0.024000
Do.	Do.	Do.	Do.	784	0.062303
Do.	Do.	Do.	Do.	814	0.006896
Do.	Do.	Do.	Do.	**Total . .**	**0.093199**
Do.	Do.	Do.	Govardhan Gorwa	324	0.317000
Do.	Do.	Do.	Do.	325	0.350000
Do.	Do.	Do.	Do.	**Total . .**	**0.667000**

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Mathura	Govardhan	Govardhan	Anyaur	72	0.160000
Do.	Do.	Do.	Do.	88	0.034200
Do.	Do.	Do.	Do.	130	0.360000
Do.	Do.	Do.	Do.	225	0.120000
Do.	Do.	Do.	Do.	343	0.068000
Do.	Do.	Do.	Do.	381	0.007000
Do.	Do.	Do.	Do.	386	0.061600
Do.	Do.	Do.	Do.	396	0.120000
Do.	Do.	Do.	Do.	397	0.312000
Do.	Do.	Do.	Do.	398	0.013600
Do.	Do.	Do.	Do.	93	0.034600
Do.	Do.	Do.	Do.	96	0.114891
Do.	Do.	Do.	Do.	153	0.041332
Do.	Do.	Do.	Do.	379	0.016000
Do.	Do.	Do.	Do.	318	0.016000
				Total . .	**1.479223**
Do	Do	Do	Jatipura	310	0.011200
Do.	Do.	Do.	Do.	338	0.056000
Do.	Do.	Do.	Do.	348	0.003200
Do.	Do.	Do.	Do.	347	0.050414
Do.	Do.	Do.	Do.	404	0.010800
				Total . .	**0.131614**
Do.	Do.	Do.	Sakeetara	249	0.152000
Do.	Do.	Do.	Do.	257	0.298000
Do.	Do.	Do.	Do.	329	0.080000
Do.	Do.	Do.	Do.	470	0.200000
Do.	Do.	Do.	Do.	651	0.080000
Do.	Do.	Do.	Do.	669	0.100000
Do.	Do.	Do.	Do.	438	0.010000
				Total . .	**0.920000**

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Mathura	Govardhan	Govardhan	Radhakund	785	0.028000
Do.	Do.	Do.	Do.	834	0.096000
Do.	Do.	Do.	Do.	837	0.025600
Do.	Do.	Do.	Do.	877	0.044000
				Total . .	**0.193600**
				Grand Total . .	**3.484636**

SCHEDULE "B"

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area acquired earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Mathura	Govardhan	Govardhan	Govardhan Brahmanan	Nil	Nil
Do.	Do.	Do.	Govardhan Gorwa	Do.	Do.
Do.	Do.	Do.	Anyaur	Do.	Do.
Do.	Do.	Do.	Jatipura	Do.	Do.
Do.	Do.	Do.	Sakeetara	Do.	Do.
Do.	Do.	Do.	Radhakund	Do.	Do.

(No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project)

NOTE- The site map of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

Chandra Prakash Singh,
Collector/Authorised Officer,
Mathura.

पी0एस0यू0पी0–1 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 05 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 15, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

अधिनियम, 1965

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस

(भूमि अर्जन अनुभाग)

सूचना

07 फरवरी, 2025 ई0

सं0 1705/एल0ए0सी0/एच0क्यू0/1—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-28 के अधीन नोटिस के माध्यम से मऊ नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु "गोरखपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मऊ" अधिसूचित की गयी है। योजना में समाविष्ट ग्रामों के क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार है—

उत्तर–खसरा संख्या-437, 272 ग्राम-शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-37, 150 भाग, 148, 147, 202, 201, 200, 198, 195, 194, 188, 187, 278, 287, 289, 291, 282, 303 भाग, 300, 301 ग्राम-रेवरीडीह, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-379, 380, 384 ग्राम-डाड़ीखास, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

पूरब–खसरा संख्या-352, 432 ग्राम-डाड़ीखास, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

दक्षिण–खसरा संख्या-4, 3, 1 ग्राम-डोड़ापुर, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-240 भाग, 214, 203 भाग, 202 भाग, 174, 177, 89 भाग, 88 भाग, 63, 62, 54, 53, 51 भाग, 52, 40, 41, 47, 42/241, 42, 43, 56 ग्राम-मेघई मु0 शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-274, 272, 271, 270, 268, 267, 255, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 226, 196, 195 भाग, ग्राम-मुहम्मदपुर मु0 शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा सं0-1139 भाग, 1122, 1123, 1124 भाग, 1125 भाग, 1127, 1134, 1135, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1060, 1061, 594, 593, 592, 590, 588, 587, 575 ग्राम-शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

पश्चिम– खसरा सं0-561 भाग, 411, 409, 405, 404, 398 भाग, 394, 392, 391, 390 भाग, 384, 380, 379, 373 ग्राम-शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, भवन सं0-85, प्रथम तल, ब्रह्मस्थान, आजमगढ़ में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, अधिनियम, 1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट शुल्क/विकास शुल्क भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, भवन सं0-85, प्रथम तल, ब्रह्मस्थान, आजमगढ़ में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त

UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKASH PARISAD

[Land Acquisition Section]

February 07, 2025

[Notice Under Section-28 of The Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965,

U. P. Act. No.-1, 1966]

NOTICE

No. 1705/L.A.C./H.Q./1–Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad has framed a scheme, called "Gorakhpur Marg Bhumi Vikas Evam Grihasthan Yojana, Mau" to solve the housing problem of the Mau City. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:

North– Khasra no. 437, 272 Village-Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra no. 37, 150 Part, 148, 147, 202, 201, 200, 198, 195, 194, 188, 187, 278, 287, 289, 291, 282, 303 Part, 300, 301 Village-Revridih, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra no. 379, 380 and 384 Village-Dandikhas, Pargana- Ghosi, Tehsil- Maunath Bhanjan, District-Mau.

East–Khasra no. 352 and 432 Village-Dandikhas, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau.

South– Khasra no. 4, 3, 1 Village-Dodapur, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra no. 240 Part, 214, 203 Part, 202 Part, 174, 177, 89 Part, 88 Part, 63, 62, 54, 53, 51 Part, 52, 40, 41, 47, 42/241, 42, 43, 56 Village-Meghai Mu. Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra no. 274, 272, 271, 270, 268, 267, 255, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 226, 196, 195 Part Village-Muhammadpur Mu. Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra No. 1139 Part, 1122, 1123, 1124 Part, 1125 Part, 1127, 1134, 1135, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1060, 1061, 594, 593, 592, 590, 588, 587 and 575 Village-Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau.

West– Khasra no. 561 Part, 411, 409, 405, 404, 398 Part, 394, 392, 391, 390 Part, 384, 380, 379, 373 Village-Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau.

The details of Land, falling under the scheme and map can be seen in the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg. Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division Varanasi-03, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, House No.-85, First Floor, Brahmsthan, Azamgarh on any working day between 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Land Owners will be liable to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the scheme according to requisite provisions of Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Act, 1965.

Objections against the scheme shall be received at the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or at the Office of Executive Engineer, Construction Division Varanasi-03, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, House No.- 85, First Floor, Brahmsthan, Azamgarh within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing of the due date, no objection shall be entertained. In the objection to be submitted, the correct name of the scheme and the land/building/Village Name/Khasra Number/Area of the land and all other details of the objector included in the scheme should be clearly mentioned.

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

कार्यालय, नगर पंचायत थानाभवन, शामली

03 फरवरी, 2025 ई0

सं0 690/न0पं0था0/2024-25—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत थानाभवन, जनपद—शामली द्वारा आहुत अपनी बैठक दिनांक 04 जुलाई, 2024 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में "भवन मानचित्र हेतु उपविधि 2024" बनायी गयी है। प्रस्तावित "भवन मानचित्र हेतु उपविधि 2024" को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 के अन्तर्गत अपेक्षा अनुसार सभी नगर वासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से नगर पंचायत थानाभवन कार्यालय के पत्रांक 580/न0पं0था0/भ0मान0उपविधि/2024 दिनांक 20 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रस्तावित "भवन मानचित्र हेतु उपविधि 2024" का प्रकाशन समाचार-पत्र दैनिक हिन्दुस्तान एवं दैनिक धारा न्यूज में दिनांक 21 नवम्बर, 2024 में कराते हुए 30 दिन के भीतर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। नियत अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति एंव सुझाव नगर पंचायत थानाभवन, कार्यालय में प्राप्त नही हुए। नगर पालिका अधिनियम 1916 के निहित प्राविधानों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि उक्त "भवन मानचित्र हेतु उपविधि 2024" शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

नगर पंचायत थानाभवन, भवन मानचित्र हेतु उपविधि 2024

शासनादेश संख्या-2399/नौ-9-94-204(जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298 जो नगर पंचायत, पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत थानाभवन, जनपद शामली में **"भवन मानचित्र हेतु उपविधि 2024"** कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1— संक्षिप्त नाम एवं प्रसार—

1— यह उपविधि नगर पंचायत थानाभवन, भवन मानचित्र उपविधि 2024 कहलायगी।

2— इस उपविधि का प्रसार नगर पंचायत थानाभवन, भवन एवं विकास उपविधि 2024 के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के भवनों पर होगा।

3— यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

2– परिभाषाएँ

1– अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास अधिनियम 1965 (यथा संशोधित अधिनियम 2008) एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

2– परिवर्तन अथवा परिवर्धन से तात्पर्य भवन की संरचना में होने वाले किसी भी परिवर्तन अथवा परिवर्धन से है जिसके अंतर्गत दीवार, छज्जा, दरवाजा, खिड़की, छत इत्यादि सभी सम्मलित है।

3– बेसमेंट से तात्पर्य भूतल से नीचे या अंशत भूतल के नीचे के निर्माण से है।

4– अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत थानाभवन, के अधिशासी अधिकारी से है।

5– अध्यक्ष/प्रशासक से तात्पर्य नगर पंचायत थानाभवन, के अध्यक्ष या प्रशासक से है।

6– बोर्ड से तात्पर्य नगर पचांयत थानाभवन, के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था से है।

7– उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होगें।

8– **''नक्शा नफीस/मानचित्रकार/ड्रॉफटमैन''** का अभिप्राय नगर पंचायत थानाभवन, के अनुज्ञा/लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नफीस से है।

3– भवन मानचित्र के लिए नियम शर्ते– देय शुल्क निम्न प्रकार से होगा–

1– आवासीय भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल पर देय शुल्क निम्न प्रकार होगा–

क्र0 सं0	**आच्छादित क्षेत्रफल**	**देय शुल्क**
1	2	3
		रुपये–
1–	100 वर्ग फुट तक	25 रुपये प्रति वर्ग फुट
2–	101–200 वर्ग फुट तक	35 रुपये प्रति वर्ग फुट
3–	201–500 वर्ग फुट तक	45 रुपये प्रति वर्ग फुट
4–	500 वर्ग फुट से ऊपर	50 रुपये प्रति वर्ग फुट
5–	खुला क्षेत्र	15 रुपये प्रति वर्ग फुट

1(क)– आवासीय एंव व्यवसायिक भवनों में प्रत्येक मंजिल/तल के लिए दरें उपरोक्तानुसार ही अलग-अलग होगी। इन दरों में प्रत्येक 5 वर्ष बाद 10% प्रतिशत की वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी।

2– व्यवसायिक भवन निर्माण में दुकान, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हाल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक काम्प्लैक्स, क्लब एवं शोरूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन के लिए इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। व्यवसायिक भवनों में मानचित्र स्वीकृति की दरें निम्न प्रकार से होगी।

क्र0 सं0	आच्छादित क्षेत्रफल	देय शुल्क
1	2	3
		रुपये–
1–	100 वर्ग फुट तक	50 रुपये प्रति वर्ग फुट
2–	101–500 वर्ग फुट तक	80 रुपये प्रति वर्ग फुट
3–	500 वर्ग फुट से ऊपर	100 रुपये प्रति वर्ग फुट
4–	बेसमेन्ट हेतु	100 रुपये प्रति वर्ग फुट
5–	औद्योगिक भवन	120 रुपये प्रति वर्ग फुट
6–	खुला क्षेत्र	25 रुपये प्रति वर्ग फुट

3– शैक्षिक, धार्मिक तथा धमार्थ एंव जनउपयोगी सेवा के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर 30 रुपये प्रति वर्ग फुट तथा बेसमेन्ट 50 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से देय होगा।

4– भूतल सहित तीन मंजिला अथवा 12 फुट से अधिक ऊँचाई के समस्त भवन/मंजिल, तल अथवा बहुमंजिल भवन भूकम्प रोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किये जायेगें।

5– निर्मित किये जाने वाले भवनों में 101-200 वर्ग फुट के क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण करते समय जल संचयन हेतु सोकपिट का निर्माण करना अनिवार्य होगा। 201-300 वर्ग फुट के क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण करते समय क्षेत्रफल सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत कंक्रीट रहित कच्चा छोड़ना होगा तथा 300 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण करने के लिए छत वर्षा, जल संचयन प्रणाली/रूफ रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली सिस्टम अपनाना अनिवार्य होगा।

6– वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्धन या नियंत्रण में कोई बाजार, स्कूल, थियेटर, सिनेमा सार्वजनिक अभिग़म आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री) आदि हो उनमे नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और मुत्रालयों की उचित व्यवस्था तथा दैनिक सफाई सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

7– ऐसे समस्त भवनों जिनके लिए अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित हो, उनके निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नगर पंचायत कार्यालय, में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

8– पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन का निर्माण उदाहरणार्थ मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एवं गिरजा घर आदि से 200 वर्ग फुट अर्धव्यास में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नही किया जायेगा परन्तु उपरोक्त दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है तो वह मान्य होगी।

9– उपर्युक्त धार्मिक स्थल निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

10– किसी भी वाद विवाद की स्थिति में दी गयी मानचित्र स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

11– नगर पंचायत थानाभवन, के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के संशोधन के आवेदन-पत्र पर पूर्व की राशि का 1/2 देय होगा।

12– प्रत्येक प्रकार की चार दिवारी के लिए प्रथम 100 वर्ग फुट के लिए रुपये 100 तथा प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग फुट या उसके भाग पर रुपये 50 की दर से शुल्क देय होगा।

13– उपरोक्त उपनियम/भवन निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा।

14– नगर पंचायत की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत थानाभवन, के द्वारा लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नफीस अथवा अवर अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

15– नगर पंचायत नक्शा नफीसो मानचित्रकारों को रु0 5,000 शुल्क लेकर एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) तक हेतु लाइसेंस जारी करेगी।

16– नगर पंचायत केवल उन्ही मानचित्रों पर विचार करेगी जो कि नगर पंचायत द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राफ्टमैन/लाइसेंसधारी/मानचित्रकार नगर पंचायत के अवर अभियंता द्वारा बनाए गये हो।

17– मानचित्रकार के लाइसेन्स स्वीकृति होने के नियम व शर्तें नगर पंचायत कार्यालय, द्वारा निर्धारित की जायेगी।

18– प्रत्येक मानचित्र के आवेदन का शुल्क 100 वर्ग फुट तक रु0 500 प्रति मानचित्र तथा 100 वर्ग फुट से अधिक रु0 800 प्रति मानचित्र पर देय होगा। जिसका भुगतान आवेदक द्वारा नगर पंचायत कार्यालय में किया जाएगा।

19– निकाय बोर्ड द्वारा सामान्य बहुमत से अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय से स्वीकृति प्राप्त कर मानचित्र बनाने के शुल्क एवं मानचित्रकार के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की जा सकती है लेकिन इन शुल्कों में किसी भी स्थिति में कटौती अथवा कमी नही की जा सकती है।

4– मानचित्र स्वीकृति हेतु अपेक्षाए–

(1) स्थल मानचित्र– एक हेक्टेयर तक मानचित्र न्यूनतम 1:500 के पैमाने पर, एक हेक्टेयर से अधिक के मानचित्र न्यूनतम 1:1000 के पैमाने पर तैयार किए जायेंगे और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए जायेंगे–

1– प्रस्तावित निर्माण के सीमावर्ती भूमि पर भवनों की स्थिति।

2– प्रस्तावित भवन/भवनों हेतु मुख्य सड़क से पहुँच की सुविधा।

3– अबाध संवातन, प्रकाश एवं सफाई हेतु भवन के अन्दर तथा भवन के चारों ओर छोड़े जाने वाला खुला क्षेत्र, सेट–बैक (भवन के सामने, पार्श्व एवं पीछे) तथा पार्किंग स्थल, आदि।

4– विद्यमान भौतिक संरचनाएं तथा नालियों आदि।

5– जल-सम्भरण लाइने तथा डिस्चार्ज बिन्दु तक मल-निस्तारण एवं जल निकास लाइन एवं रूफ-टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था।

6– पैमाना और उत्तर दिशा-सूचक।

(2) भवन मानचित्र– भवन के प्लान और एलीवेशन तथा सेक्शन 1:100 से कम पैमाने पर नही होंगे और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए जायेंगे–

1– समस्त तलों के तल मानचित्र सहित आच्छादित क्षेत्रफल, कमरों के आकार, जीने, रैम्प (लिफ्ट सहित)।

2– भवन के प्रत्येक भाग का उपयोग या अधिभोग।

3– जल प्रवाहित शौचालय की व्यवस्था।

4— सेक्शन ड्राइंग में स्पष्ट रूप से पदाधार (फुटिंग) के आकार, तहखानों की दीवारों की मोटाई, तल, स्लैब, छत, दरवाजे, खिड़कियों के आकार, भवन और कमरों तथा पैरापिट की ऊँचाई, जल निकास और छत की ढाल प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक सेक्शन, जीने एवं मशीन रूम से होगा।

5— सभी सड़कों की ओर के एलीवेशन।

6— टैरेस प्लान में जल-निकास और छत की ढाल।

7— उत्तर दिशा-सूचक और प्रयुक्त पैमाना।

(3) बहुमंजिले एवं विशिष्ट भवन—

1— चार मंजिले से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों, जिनका भू-आच्छादन 500 वर्ग फुट से अधिक हो, के भवन मानचित्रों में नेशनल बिल्डिंग कोड—2005 के भाग-4 की अपेक्षाओं के साथ-साथ निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण दर्शाना आवश्यक होगा—

(क) अग्निशमन संयत्रों एवं वाहनों के पहुँच मार्ग, वाहनों के मुड़ने के स्थान, भवन के चारों ओर वाहनों के आवागमन हेतु सर्कुनेशन क्षेत्र तथा पार्किंग व्यवस्था।

(ख) फायरएस्केप, स्टेयरकेस।

(ग) मुख्य सीढ़ियों का आकार (चौड़ाई) तथा उसके साथ बालकनी, कारिडोर व लॉबी से प्रवेश के विवरण।

(घ) लिफ्ट के प्राविधान सहित लिफ्ट कक्ष की स्थिति।

(च) कचरा डालने का कक्ष, शूट्स तथा सर्विस डक्ट्स।

(छ) वातानुकूलित पद्धति, फायर डैम्पर, यान्त्रिक संवातन पद्धति, विद्युत सेवाएं तथा सभी सेवाओं के पाइप्स, आदि।

(ज) विद्युत एलार्म पद्धति का विवरण।

(झ) स्थाई पानी की टंकी तथा उसकी क्षमता।

(अं) रूफ-टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था।

2— भूतल सहित तीन मंजिला से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं यथा—वाटरवर्क्स एवं ओवर हैड टैंक, टेलीफोन एक्सचेन्ज, ब्रिज एवं कल्वर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत सब-स्टेशन, विद्युत टावर, छविगृह, आडिटोरियम, सभा-भवन, शैक्षिक संस्थाएं, बस टर्मिनल जिनका भू-आच्छादन 500 वर्ग फुट से अधिक हो (चाहे उनकी ऊँचाई 12 मीटर से कम हो), इत्यादि के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर भू-स्वामी/बिल्डर, पंजीकृत आर्कीटेक्ट के साथ-साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पूरे नाम तथा मुहरयुक्त हस्ताक्षर से भूकम्परोधी डिजाइन होने का प्रमाण-पत्र उल्लिखित प्रारूप में अंकित किया जायेगा।

5— स्वामित्व प्रमाण-पत्र— नगर पंचायत द्वारा मानचित्र पर विचार करने से पूर्व निम्नलिखित स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है—

1— मूल विक्रय-पत्र (पट्टा की प्रमाणित प्रति/अभिलेख)।

2— नगर पंचायत द्वारा वांछित अन्य कोई विलेख।

6– **नक्शा स्वीकृत/अनुज्ञा की प्रकिया–**

1– **आवासीय भवन–**

1– 300 वर्ग फुट क्षेत्रफल तक के आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए मानचित्र दाखिल किए जाने पर स्वतः स्वीकृत माने जायेंगे, यदि मानचित्र अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो तथा उस पर यह प्रमाण-पत्र अंकित किया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण/पुनर्निर्माण भवन उपविधियों के अनुसार है। किन्तु विभिन्न मदो में वांछित शुल्क यथा-मलवा शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, आदि नियमानुसार जमा कराना आवश्यक होगा।

2– प्रस्तुत मानचित्र 30 दिन की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर स्वतः स्वीकृत माने जाएगें, बशर्ते वह भवन उपविधियों के अनुसार हों तथा यथावश्यक अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए0एस0आई0, आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया हों। स्वतः स्वीकृत के मामलों मे सम्बन्धित निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगें।

2– **अन्य भवन–**

1– व्यवसायिक, कार्यालय, तथा अन्य के मानचित्र निर्माण अनुज्ञा हेतु नगर पचांयत कार्यालय में प्रस्तुत किए जायेंगे परन्तु 30 दिनों की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर यदि आवेदक द्वारा स्वयं समय बढ़ाने की सहमति न दी गई हो, तो भवन मानचित्र स्वतः स्वीकृत माना जायेगा, बशर्ते वह भवन उपविधियों के अनुसार हो। स्वतः स्वीकृत के मामलों में सम्बन्धित निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2– मानचित्रों की स्वीकृति हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में लेखा लिपिक व अवर अभियन्ता के अतिरिक्त एक अन्य कर्मचारी नामित होगा जो कि स्थल पर जाकर मौका मुआयना करेगा। यह समिति मानचित्रों का परीक्षण कर स्वीकृति हेतु अधिशासी अधिकारी को अपनी संस्तुति देगी।

नोट– यदि किसी भवन हेतु कोलोनाइजर द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु अन्य विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है तो उसे निर्धारित समय के अन्तर्गत प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी।

3– निर्धारित अवधि में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर भी मानचित्र 90 दिन के अन्दर इस शर्त के साथ स्वीकृत कर दिए जायेंगे कि निर्माणकर्ता ऐसे विभाग, जिनकी अनापत्ति प्राप्त नही हुई हो, को लिखित नोटिस प्राप्त कराकर अपने रिस्क पर 10 दिन बाद निर्माण प्रारम्भ कर सकता है, परन्तु उस अनापत्ति हेतु अन्य सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। यह निर्माणकर्ता का दायित्व होगा कि वे अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करें और उसमें लगाई गई शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य करें।

4– ऐसे भवनों को कम्पलीशन सर्टीफिकेट तभी जारी किये जायेंगे जब इन सभी विभागों की अनापत्ति निर्माणकर्ता द्वारा प्राप्त कर ली गई हों।

5– विद्यमान होटलों में लिफ्ट लगाये जाने हेतु आवश्यक आंतरिक परिवर्तन से सम्बन्धित मानचित्र अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणित किये जाने पर कि प्रस्तावित निर्माण भवन उपविधि, संरचनात्मक स्थिरता तथा अग्निशमन सुरक्षा की अपेक्षाओं के अनुसार है, निर्धारित शुल्क सहित नगर पंचायत में जमा किये जाने पर औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नही होगी, बल्कि नगर पंचायत में मानचित्र जमा करने की रसीद ही मानचित्र स्वीकृति की प्रमाण-पत्र होगी। परन्तु जमा किये गये मानचित्र में नियमों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में

सम्बन्धित वास्तुविद एंव भवन स्वामी को उत्तरदायी माना जायेगा तथा मौके पर निर्माण व जमा मानचित्र से भिन्नता पाये जाने की स्थिति में निर्माणकर्ता/भवन स्वामी को उत्तरदायी माना जायेगा और दोनों ही स्थितियों में नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

लिफ्ट लगाये जाने हेतु आवश्यक आन्तरिक परिवर्तन से भिन्न परिवर्तन हेतु सम्बन्धित मानचित्र निर्धारित शुल्क सहित आवेदक द्वारा स्वयं अथवा पंजीकृत वास्तुविद के माध्यम से नगर पंचायत में स्वीकृति हेतु जमा किया जा सकता है।

6– ऐसे भवन जिनमें अग्निशमन व्यवस्था अनिवार्य हो, आवश्यक रूप से नगर पंचायत द्वारा गठित तकनीकी समिति के माध्यम से जांचोपरांत ही स्वीकृति हेतु अग्रसारित किये जाएंगे।

7– निर्माण अनुज्ञा पत्र की वैधता–

1– समस्त भवनों हेतु एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम 2 वर्ष के लिए वैध होगी।

2– 2 वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू-स्वामी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर नगर पंचायत ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये जो वह आरोपित करना उचित समझें, एक बार में एक वर्ष के लिये अधिकतम 3 बार स्वीकृति के नवीनीकरण की अनुमति निर्धारित शुल्क लेकर दे सकता है।

8– निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना– अनुज्ञा के अधीन निर्माण प्रारम्भ करने पर उसकी सूचना नगर पंचायत, थानाभवन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दी जायेगी।

9– पूर्व मे निर्मित भवनों के मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रक्रिया– यदि कोई व्यक्ति पूर्व में निर्मित आवासीय भवन का नक्शा पास कराने हेतु नगर पंचायत, कार्यालय में आवेदन पत्र देता है तो उसे 10,000 रु0 शमन शुल्क के साथ इस उपविधि में दी गयी दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। इसके साथ ही 10 रु0 के स्टाम्प पेपर पर नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगा। व्यावसायिक भवनों पर शमन शुल्क 20,000 रु0 तथा शापिंग माल/मार्किट पर शमनीय शुल्क 50,000 रु0 होगा। ऐसे सभी नक्शों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु अधिशासी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगा।

10– अपराधों का शमन–

1– इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध के शमन की कार्यवाही अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत थानाभवन द्वारा की जा सकेगी।

2– शमन योग्य निर्माण से सम्बन्धित अपराध का शमन इस प्रतिबन्ध के साथ किया जायेगा कि अशमनीय निर्माण से सम्बन्धित अपराध को अभियुक्त आगे गतिमान नही रखेगा तथा अशमनीय अवैध निर्माण अथवा विकास कार्य अथवा उपरोक्त शमनीय अपराध का शमन करने के आदेश देने वाले अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो 30 दिन से अधिक न होगी, समाप्त कर देगा, अन्यथा उसके विरूद्ध पुनः विधिक कार्यवाही एंव ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु नगर पंचायत, थानाभवन स्वतन्त्र होगी।

11– अनुज्ञा देने अथवा अनुज्ञा देने से इन्कार करना–

1– अवैध निर्माण अथवा विकास कार्य के शमन की अनुज्ञा देने अथवा अनुज्ञा देने से इन्कार करने में अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा कोई प्राधिकृत कर्मचारी यह सुनिश्चित करेगा कि–

1– अवैध निर्माण कहॉ किया गया है यथा बेसमेन्ट, सेमी-बेसमेन्ट, भू-तल, प्रथम तल या अनुवर्ती तलों पर तथा संलग्न भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, प्रकाश एंव संवातन व गोपनीयता पर उसका क्या प्रभाव है ?

2– क्या बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य सीमा से अधिक किया गया है, यदि हॉ तो संलग्न सम्पत्तियों एंव विद्यमान अवस्थापन सुविधाओं पर उसका क्या प्रभाव है ?

3– क्या निर्माण की अनुमति इससे पहले अस्वीकार की जा चुकी है, यदि हॉ, तो वर्तमान में शमन किये जाने का औचित्य ?

4– क्या निर्माण विद्यमान बिल्डिंग लाइन के प्रतिकूल है, यदि हॉ तो उसका क्या प्रभाव है ?

5– क्या निर्माण रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट से प्रभावित है, यदि हॉ तो क्या उसके लिये सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति ली गयी है ?

12– निम्नलिखित अपराध शमनीय नही होंगे–

1– सार्वजनिक व अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं यथा–सड़क, रेलवे लाइन, पार्क ग्रीनवर्ज आदि हेतु आरक्षित अथवा उनसे सम्बन्धित भूमि पर किया गया निर्माण।

2– ले-आउट प्लान अथवा मानचित्र के विपरीत किया गया निर्माण।

3– अवैध भू-खण्ड पर अथवा भवन में किया गया निर्माण।

4– सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर बिना सम्बन्धित विभाग की अनुमति से किया गया निर्माण।

5– विवादित भूमि पर किया गय निर्माण।

6– स्टिलट फ्लोर तथा पार्किंग हेतु आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण।

7– भू-तल सहित तीन मंजिल से अधिक अथवा 12 मीटर से ऊँचे भवनों तथा 500 वर्ग फुट से अधिक भू-आच्छादनयुक्त अवस्थापना सुविधाओं के भवनों में भूकम्परोधी व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण।

8– चार मंजिल से अधिक तल अथवा 15 मीटर एंव अधिक ऊँचाई के भवनों और विशिष्ट भवन यथा–शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एंव संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों जिनका भू-आच्छादन 500 वर्गमीटर से अधिक हो, में भवन निर्माण एंव विकास उपविधि की अपेक्षानुसार अग्निशमन व्यवस्था एंव न्यूनतम निर्धारित सेट-बैंक के बिना किया गया निर्माण।

9– पूर्व निर्मित भवनों में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन/परिवर्धन अथवा पुर्ननिर्माण में स्थानीय अग्निशमन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना किया गया निर्माण।

10– हेरिटेज जोन, संरक्षित स्मारकों तथा नागरिक उडड्यन क्षेत्र अथवा प्रतिबन्धित ऊँचाई के क्षेत्र में भवन की ऊँचाई के उल्लंघन स्वरूप किया गया निर्माण।

11– नगर पंचायत, थानाभवन भवन निर्माण एंव विकास उपविधि 2024 में निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित पार्किंग व्यवस्था न होने पर किया गया निर्माण।

12– 300 वर्ग फुट एंव अधिक क्षेत्रफल के समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ-टॉफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण।

13– राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/जलाशय, नदी, नाले, आदि से आच्छादित भूमि पर किया गया निर्माण।

14– नगर पंचायत, थानाभवन भवन निर्माण एंव विकास उपविधि 2024 की अपेक्षानुसार कार्यात्मक भवनों तथा 500 वर्ग फुट एंव अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना के बिना किया गया निर्माण।

15– जन-उपयोगी भवनों एंव सार्वजनिक सुविधा स्थलों के अन्तर्गत शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा, प्रयोज्यता तथा सुगम्यता हेतु भवन निर्माण एंव विकास उपविधि की अपेक्षाओं के उल्लंघन स्वरूप किया गया निर्माण।

16– मानचित्र में नगर पंचायत, थानाभवन भवन निर्माण एंव विकास उपविधि 2024 के अनुसार अनुमन्य निर्माण एंव अवैध निर्माण अलग-अलग दर्शाये जायेंगे।

17– टिप्पणी– इस उपविधि में दी गयी दरों/शुल्कों में प्रत्येक 5 वर्ष बाद 10% (प्रतिशत) की वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी।

13– शमन शुल्क की गणना–

1– यदि किसी मामले में शमनीय निर्माण एक से अधिक प्रकृति के अवैध निर्माण के अन्तर्गत आता है, तो शमन शुल्क प्रत्येक प्रकृति के अवैध निर्माण के लिए देय शुल्क को जोड़कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तल हेतु शमन शुल्क की गणना अलग-अलग की जायेगी।

2– अवैध निर्माण के शमन हेतु निर्माणकर्ता द्वारा शमन मानचित्र के साथ एकमुश्त अथवा ब्याज सहित किस्तों में जैसा अधिशासी अधिकारी/बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाये, जमा की जायेगी। साथ ही नगर पंचायत, द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क तथा अशमनीय भाग के ध्वस्तीकरण हेतु शपथ-पत्र भी जमा किये जायेंगे एवं तदुपरान्त ही मानचित्र शमन की कार्यवाही की जायेगी। शमन हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा मानचित्र पर स्वीकृति सम्बन्धी शर्तें अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी।

3– शमन हेतु प्रस्तुत मानचित्र के प्रदर्शित भवन अथवा उसका कोई भाग जो शमनीय सीमान्तर्गत है, ध्वस्त नही किया जायेगा परन्तु अशमनीय भाग को नगर पंचायत, द्वारा विधि अनुसार ध्वस्त किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

4– अशमनीय भाग निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं अपने व्यय पर हटाया जायेगा, अन्यथा नगर पंचायत द्वारा ध्वस्त किया जायेगा तथा उसकी वसूली नगर पालिका अधिनियम,1916 के अध्याय 6 में दी गयी रीति से निर्माणकर्ता से वसूली जायेगी।

14– सक्षम अधिकारी– इस उपविधि को लागू कराने हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होगा। इस उपविधि में प्रावधानित किसी भी शर्त अथवा प्रावधान को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

15– संशोधन– इस उपविधि में संशोधन नगर पंचायत बोर्ड के एक तिहायी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव अथवा अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय के अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा।

16– निरसण– इस उपविधि के लागू होने के पश्चात् निकाय द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

17— दण्ड— यदि कोई व्यक्ति इस उपविधि के किसी भी प्रावधान का उल्लघंन करता है अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत, को प्राप्त होगा लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निर्माण अगर नियमानुसार निर्मित है तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाइसेन्सधारी नक्शा नफीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत कराने के लिये नगर पंचायत, में प्रस्तुत कर सकेगा तथा नगर पंचायत, ऐसे मानचित्र को समझौता/शमन शुल्क आवासीय हेतु 1,000/— रु0 व्यवसायिक हेतु 2,000/— रु0 लेकर नियमित कर सकेगा।

जितेन्द्र राणा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, थानाभवन,
जनपद-शामली।

कार्यालय, नगर पंचायत, महरौनी, ललितपुर

29 फरवरी, 2024 ई0

सं0-1119/न0पं0महरौनी (2023-24)—नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त धारा के साथ पठित धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड 13(बी) अर्थात 128(1) (13बी) 128ए, धारा 131 की उपधारा (1)(2) एवं धारा 128 (2) की उपधारा (छः) एवं धारा 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 के अन्तर्गत नगर पंचायत महरौनी जनपद ललितपुर ने अपनी सीमान्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण मूल्य, लेखों पर एवं भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु उपनियम बनाता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 300, 301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात, उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत, महरौनी, ललितपुर के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर दे सकते हैं। नगर पंचायत महरौनी की बोर्ड बैठक दिनांक 04 जुलाई 2023 प्रस्ताव सं0-2 के द्वारा प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में दैनिक अमर उजाला समाचार-पत्र दिनांक 07 मार्च, 2024 एवं दैनिक जागरण समाचार-पत्र दिनांक 08 मार्च, 2024 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समयावधि में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आपत्ति प्राप्त हुई जिसका निस्तारण करते हुये आपत्तिकर्ताओं द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

''अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण करने पर बसूली एवं मानचित्र नियमावली''

1— संक्षिप्त नाम तथा परिभाषा—

(क) यह नियमावली नगर पंचायत महरौनी, जनपद ललितपुर की सीमान्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण करने पर बसूली एवं मानचित्र नियमावली कहलायेगी।

(ख) यह उस दिनांक से लागू समझी जायेगी जब से नगर पंचायत महरौनी की सीमा के अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण लेखों एवं मानचित्र पर कर लगाया जायेगा।

(ग) यह नगर पंचायत महरौनी की सीमा अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के सभी लेखों एवं मानचित्र पर प्रवृत्त होगी।

2– परिभाषायें– विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य सं0 प्रा0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 (2) की उपधारा (छः) एवं धारा 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 से है।

(ख) ''नगर'' का तात्पर्य नगर पंचायत महरौनी से है।

(ग) ''शुल्क'' का तात्पर्य इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2, 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख एवं मानचित्र पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ) ''इंडियन स्टाम्प एक्ट'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रबृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2, 1899) से है।

(च) ''पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत महरौनी से है।

(छ) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत महरौनी के अधिशासी अधिकारी से है।

(ज) ''कर'' का तात्पर्य सं0 प्रा0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 127 ए (1) के (13बी), धारा 128(2) की उपधारा (छः) एवं धारा 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 के अन्तर्गत लगाये गये कर से है।

3– नगर पंचायत महरौनी की सीमा के अन्दर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी भी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा बन्धक की दशा में दस्ताबेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

4– नगरपालिका अधिनियम 1916 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दाखिल-खारिज उपविधियां निम्नवत नामांतरण की कार्यवाही निम्नलिखित आधारों पर की जायेगी–

अ– रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर,

ब– मृत्यु के आधार पर,

स– रजिस्टर्ड बसीयत के आधार पर

द– मा0 न्यायालय के आदेश के आधार पर,

य– आपसी समझौते/रजि0 दान-पत्र/अन्य आधार पर

र– अन्य हस्तान्तरणीय अपंजीकृत विलेख के आधार पर।

नामांतरण की कार्यवाही आवश्यक दस्ताबेजों के आधार पर किये जायेंगे।	नामांतरण की कार्यवाही पर आवेदक पर निर्धारित शुल्क जमा कराने की अपेक्षा की जायेगी।
1	2
	रु0
अ– रजिस्टर्ड विक्रय -पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु	1– शून्य से 50 हजार तक की मालियत पर– शून्य
1– रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र की छायाप्रति।	2– 51 हजार से 1.50 लाख तक– 500.00

1	2
	रु0
2– नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित क्रेता व विक्रेता की ओर से।	3– 1.51 लाख से 5.00 लाख तक– 1,000.00 4– 5.00 लाख से ऊपर 10.00 लाख तक– 3,000.00 5– 10.00 लाख से ऊपर– 5,000.00 **नोट**– रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर नामांतरण हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रा0पत्र प्रस्तुत करने पर रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के निष्पादन की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
ब– मृत्यु के आधार पर नामांतरण हेतु 1– मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। 2– तहसीलदार द्वारा जारी बारसान प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। 3– बारसान प्रमाण-पत्र में अंकित बारिसों में से जिन बारिस/बारिसों के नाम अंकित न होने हों उनकी ओर से नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित। 4– आवेदक की ओर से नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित।	मृत्यु के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में रु0 200.00 मात्र शुल्क नियत किया गया। **नोट**– मृत्यु की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रा0पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
स– रजिस्टर्ड बसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु 1– रजिस्टर्ड बसीयतनामा की छायाप्रति। 2– मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। 3– नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित।	रजिस्ट्रर्ड वसीयत के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में 1,000.00 मात्र शुल्क नियत किया गया। **नोट**– वसीयतकर्ता की मृत्यु की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर कोई बिलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रा0पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
द– मा0 न्यायालय के आदेश के आधार पर नामांतरण हेतु 1– मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति। दावा, बाद पत्र, डिक्री सहित। 2– नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित।	मा0 न्यायालय के आदेश के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में रु0 500.00 मात्र का शुल्क नियत किया गया। **नोट**– मा0 न्यायालय के आदेश की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर कोई बिलम्ब शुल्क देय नही होगा। तीन माह के बाद प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

1	2
	रु0
य– आपसी समझौते/रजि0 दान-पत्र/अन्य आधार पर नामांतरण हेतु 1– आपसी समझौते/अन्य आधार पर नामांतरण हेतु दस्ताबेज **नोट**– इस आधार पर नामांतरण हेतु मा0 सदन स्वीकृति लेना आवश्यक है। 2– नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित 3– दान-पत्र की स्थिति में रजिस्टर्ड दान-पत्र व नोटरी शपथ पत्र।	आपसी समझौता/रजिस्ट्रर्ड दान-पत्र/अन्य आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में रु0 2,000.00 मात्र का शुल्क नियत किया गया। नोट– दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नही होगा। तीन माह के बाद प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
र– अन्य हस्तान्तरणीय अपंजीकृत विलेख के आधार पर नामांतरण हेतु 1– अन्य अपंजीकृत हस्तान्तरणीय विलेख की छायाप्रति। 2– नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित। 3– अपंजीकृत बैनामे के अलावा किसी हस्तान्तरण के आधार पर नामांतरण की बांछा करने वाले आवेदक प्रस्तावित भवन/प्लाट की कुल मालियत का दो प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार देय होगा।	अन्य हस्तांतरणीय अपंजीकृत विलेख के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में रु0 5,000.00 मात्र का शुल्क नियत किया गया। नोट– दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नही होगा। तीन माह के बाद प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

5– समस्त प्रकार के नामांतरण के सम्बन्ध मे शुल्क जमा उपरान्त किसी भी दैनिक समाचार-पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जायेगा। समाचार-पत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में कर निर्धारण सूची में अधिशासी अधिकारी से अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संशोधन किया जायेगा तथा आदेश अंकित किया जायेगा।

6– नगर में संचालित किसी भी दैनिक समाचार-पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन संबंधित आवेदक द्वारा स्वयं कराकर समाचार-पत्र की दो प्रतियां कार्यालय में जमा करनी होगी। सार्वजनिक सूचना का आलेख नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

7– नियत अवधि के अन्दर किसी मामले में कोई आपत्ति प्राप्त होने की दशा में आपत्तिकर्ता से रु0 500.00 मात्र शुल्क जमा कराया जायेगा, तदोपरान्त अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा प्रकरण में सुनवाई करते हुये अंतिम आदेश पारित किया जायेगा।

भवन मानचित्र स्वीकृति संबंधी नियम/शर्तें–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का नियमानुसार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा उपयुक्त पाये जाने पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

1– अनुमति आवेदक/वास्तुकार द्वारा प्रस्तुत किये गये पेजों, दस्तावेजों और ड्राइंग पर दिये गये इनपुट के आधार पर दी जायेगी। आवेदक/वास्तुकार यह पुष्टि करेगा कि उनके द्वारा आनलाईन/आफलाइन प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/चित्र शुद्ध एवं सही हैं।

2– दी गई अनुमति कोई स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करेगी। बाद के चरण में यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज या जानकारी झूठी और मनगढ़ंत आधार पर प्रस्तुत किया गया है तो अनुमति निरस्त कर दी जायेगी/स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

3– आवेदक को सम्बंधित सभी विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त करनी होगी।

4– मानचित्र अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक वैद्य होगा।

5– निर्माण शुरू होने से पहले और बाद में निकाय/अधिशासी अधिकारी को जानकारी देनी होगी, निर्माण पूरा होने से पहले नगर पंचायत महरौनी, से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होगा। बिल्डिंग उपनियम 2008 (यथा संशोधित 2011/2016/2023) के प्रावधान भवन या उसके किसी भी हिस्से पर लागू होंगे।

6– निर्माण शुरू करने से पहले साइट पर 4 फीट x 3 फीट का एक बोर्ड लगाया जायेगा जिस पर अनुमोदन प्राधिकारी, परमिट संख्या, अनुमोदन तिथि, वैधता तिथि और वास्तुकार का नाम लिखा होगा।

7– संरचना की सुरक्षा और गुणवत्ता की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

8– समय-समय पर लागू शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

9– यदि अनुमोदन प्राधिकारी भविष्य में कोई मांग-पत्र जारी करता है तो बिना किसी आपत्ति के आवेदक को उसे जमा करना होगा।

10– यदि भविष्य में स्वामित्व के किसी भी बिन्दु पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अनुमति जब्त कर ली जायेगी। आवेदक को आनलाईन/आफलाईन रूप से (बिना कोई कारण बताओं नोटिस दिये) मानचित्र की मंजूरी से भूमि का अधिकार नहीं मिलेगा।

11– यदि आवेदक द्वारा कोई जानकारी छुपाई गई या गलत दी गई तो मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।

12– निर्माण के संबंध में भवन उपविधि में निर्दिष्ट मानक/शर्तें कार्यान्वित होंगी।

13– भवन का उपयोग केवल उसी हेतु किया जायेगा जिसके लिए वह स्वीकृत होगी।

14– भारतीय विद्युत नियमों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा और जारी की गई एनओसी पर उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। विभिन्न विभागों का भी पालन किया जायेगा।

15– भमि स्वामित्व संबंधी प्रमाण या किसी विवाद में नगर पंचायत महरौनी, विधिता बाध्य नही होगी।

16– स्वीकृति भवन मानचित्र में रिपटा/सड़क के ऊपर छज्जा निर्माण नही किया जायेगा।

17– भवन मानचित्र का रॉ मटैरियल रोड़ साईड पर नही डाला जायेगा।

18– नव निर्मित भवन में शौचालय एवं जल संचयन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।

19– समस्त नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों/उपविधियों आदि का अनुपालन शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा। अन्यथा की दशा में भवन मानचित्र स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

20– भवन मानचित्र स्वीकृति न होने पर निर्माण कार्य अवैध होगा तथा अतिक्रमण की श्रेणी में आयेगा जिसे नगर पालिका अधिनियम/इस उपनियम के अधीन कार्यवाही की जायेगी

एनजीटी की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा–

1– निर्माण/विध्वंस के समय आवेदक को क्षेत्र और भवन के चारों ओर मचान पर तिरपाल लगाना होगा तथा निर्माण सामग्री विशेषकर रेत का भंडारण करने की अनुमति नहीं होगी।

2– साइट पर संग्रहीत किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री को सभी प्रकार से पूरी तरह से कवर किया जाएगा।

3– सभी निर्माण सामग्री और मलबा ट्रकों या अन्य वाहनों में ले जाया जायेगा जो पूरी तरह से ढका हुआ होगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण का मलबा या निर्माण सामग्री किसी भी रूप में हवा या वायुमंडल में ना फैले।

4– निर्माण सामग्री और मलबा अपशिष्ट को परिवहन करने की जिम्मेदारी मालिक की होगी।

5– सभी मालिकों/स्वामियों को उचित उपाय करना चाहिए और स्प्रिंकलर ठीक करके इसका सख्ती से पालन करना चाहिए।

6– सभी भवन मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि सी एण्ड डी अपशिष्ट का परिवहन और निपटान केवल सी एंड डी अपशिष्ट स्थल पर किया जाये और इस संबंध में मालिकों और ट्रांसपोर्टरों द्वारा उचित रिकॉर्ड बनायें रखा जायेगा।

7– प्रवेश और निकास बिन्दुओं का डिजाइन नगरपालिका अधिनियम 1916 एवं अन्य शासनादेशों के अधीन होगा।

नोट– आवेदक द्वारा भवन मानचित्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा 30दिन के अन्दर स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करना होगा। समय अवधि व्यतीत होने पर बिना किसी कारण विलम्ब के स्वीकृति स्वतः प्रभावी होगी।

भवन मानचित्र स्वीकृत हेतु शुल्क का निर्धारण–

नगर पंचायत सीमा अन्तर्गत आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु रु0 30/– प्रति वर्गमी0 की दर से तथा व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत की दशा में रु0 100/– प्रति वर्गमी0 दर से प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रफल के अनुसार शुल्क देय होगा। अर्धआवासीय/अर्ध व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृति की दशा में उपरोक्त दोनो दरें नियमानुसार प्रभावी होगी। किसी अन्य विभाग से मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु उपरोक्त दरें प्रभावी होगी।

(**नोट**– आवासीय प्लाट खरीदकर गुमराह करके व्यवसाय उपयोग में लाया जाता है तो रु0 100/– प्रति वर्ग मी0 सभी स्थलों पर लागू होगा एवं व्यवसायिक अन्दर के रोडों पर, नगर पंचायत रोड एवं मण्डी रोड पर रु0 50/– प्रति वर्ग मी0 लागू होगा।)

साक्षी साहू,
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत महरौनी,
ललितपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत, महरौनी, ललितपुर

29 फरवरी, 2024 ई0

सं0-1120 / न0पं0महरौनी (2023-24)–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत महरौनी, जिला- ललितपुर की सीमा हेतु **''व्यवसाय कर एवं पार्किंग, विज्ञापन शुल्क उपविधि-2024''** प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली के धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति / समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति / सुझाव नगर पंचायत, महरौनी, ललितपुर के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 21 दिन के अंदर दे सकते हैं। नगर पंचायत महरौनी की बोर्ड बैठक दिनांक 04 जुलाई, 2023 प्रस्ताव सं0-8,9 एवं दिनांक 01 फरवरी, 2024 प्रस्ताव सं0-2 के द्वारा प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में दैनिक अमर उजाला समाचार-पत्र दिनांक 07 मार्च, 2024 एवं दैनिक जागरण समाचार-पत्र दिनांक 08 मार्च, 2024 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समयावधि में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आपत्ति प्राप्त हुई जिसका निस्तारण करते हुये आपत्तिकर्ताओं द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

''व्यवसाय कर एवं पार्किंग, विज्ञापन शुल्क उपविधि-2024''

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 जो नगर पालिका पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत, महरौनी, ललितपुर में ''व्यवसाय कर एवं पार्किंग, विज्ञापन शुल्क उपविधि-2024'' कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है। (1)

1– संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ–

(क) यह उपविधि ''व्यवसाय कर एवं पार्किंग, विज्ञापन शुल्क उपविधि-2024'' कहलायेगी।

(ख) यह नगर पंचायत, महरौनी, ललितपुर की सीमा में प्रवृत्त होगा।

(ग) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत, महरौनी में प्रवृत्त होगा।

2– परिभाषायें– विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये।

(क) अधिनियम का तात्पर्य ''उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916'' से है।

(ख) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत, महरौनी, ललितपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) नगर पंचायत, महरौनी का तात्पर्य ''नगर पंचायत महरौनी, ललितपुर'' से है।

(घ) अध्यक्ष / प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत, महरौनी, ललितपुर के अध्यक्ष / प्रशासक से है।

(ड़) निरीक्षणकर्ता का तात्पर्य नगर पंचायत, महरौनी द्वारा अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी से है।

(च) बोर्ड से तात्पर्य नगर पंचायत, महरौनी के निर्वाचित अध्यक्ष / सदस्यों से है।

(छ) शुल्क व कर का तात्पर्य नगर पंचायत, महरौनी द्वारा वर्णित मदों पर लगाये शुल्क व कर से है।

क्रम सं0	मद का नाम	दर
1	2	3
		रु0
पार्किंग शुल्क–		
1–	बस पार्किंग	50.00 / दिन
2–	ट्रैक्टर ट्राली पार्किंग	40.00 / दिन
3–	अप्पे, टैक्सी, ई-रिक्शा पार्किंग	40.00 / दिन
4–	मिनी बस पार्किंग	40.00 / दिन
5–	अन्य चार पहिया वाहन	50.00 / दिन

1	2	3
		रु0
विज्ञापन शुल्क–		
1	दुकान या अन्य के साथ साथ स्वतंत्र रूप से अन्य किसी नाम का ग्लोसाइन बोर्ड स्थापित कर जा रहे विज्ञापन की दर	10.00 / वर्गफीट / माह
2	बाल पेंटिंग दर	5.00 / वर्गफीट / माह
3	साईनबोर्ड, ग्लो साईन बोर्ड दर (केवल दुकानदार, कम्पनी एवं राजनैतिक)	10.00 / वर्गफीट / माह
4	कटआउट दर (20 वर्गफीट से कम पर)	10.00 / माह
5	विज्ञापन दर	5.00 / वर्गफीट / माह
6	बोर्ड पोस्टर दर	400.00 / वर्ष
7	हैण्डबिल पोस्टर दर	50.00 / सैकड़ा
व्यवसाय कर–		
1–	सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय भवन, सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय निगम और बोर्ड आदि क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, पैथोलाजी लैब, नर्सिंग होम, चिकित्सालय और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र, फिजियोथिरैपी केन्द्र, प्रसूति गृह, प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडीकल कालेज एवं डेंटल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, प्रबन्ध संस्थान, विधि संस्थान एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब / विवाह घर, आडीटोरियम (प्रेक्षागृह) सामुदायिक केन्द्र, स्टाररहित होटल, एक सितारा और उससे ऊपर के होटल, टावर और होर्डिंग वाले भवन, टेलीविजन टावर, दूर संचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं, बैंक–बैंक ए0टी0एम0, फाइनेंस कम्पनियां, निजी क्षेत्र के कार्यालय और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, माल्स, पब्स, बार, वासगृह जहां भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती हो, सर्वे के उपरान्त चिन्हित संस्थानों पर कर।	750.00 / वर्ष
2–	महाविद्यालयों स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं वृहद उद्योग (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), मेडिकल स्टोर, प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित स्पोर्ट काम्पलैक्स, टेंट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और गैर सरकारी कोचिंग सेंटर आदि सर्वे के उपरान्त चिन्हित संस्थानों पर कर।	500.00 / वर्ष

1	2	3
		रु0
3–	सरकारी अथवा गैर सरकारी छात्रावास, स्वीमिंग पूल, क्रीडा केन्द्र तथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर जिनका प्रयोग मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु होता हो, जिसमें वैवाहिक समारोहों से सम्बन्धित सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, संगीत एवं नृत्यकेन्द्र, सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयां (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), एकल स्क्रीन सिनेमाघर (जो माल्स में स्थित नहीं है), 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की चाय, दूध डबलरोटी, अंडे, धोबी/लांड्री, फल, सब्जी, फोटोस्टेट, नाई/हेयर ड्रेसर (जिनमें दो से अधिक बाल काटने की कुर्सियां न हों और जिसमें वातानुकूलन/कूलर का उपयोग न होता हो) तथा दर्जी की दुकान, खोखा, डिब्बा आदि सर्वे के उपरान्त दुकानों पर कर।	250.00/वर्ष

नोट– निर्धारित कर व शुल्क की दरों में प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि की जायेगी जो एक के गुणांक में होगी।

विलम्ब शुल्क

सभी दुकानों एवं कारखानों पर प्रतिमाह रुपया 10.00 (दस रुपया मात्र) विलम्ब देय होगा।

दण्ड

नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत महरौनी जनपद-ललितपुर यह आदेश देता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकन रुपया 1,000.00 से 5,000.00 (एक हजार से पांच हजार रुपये मात्र) तक जुर्माना किया जा सकता है। यदि उल्लंघन जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से रुपया 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है। जुर्माना अदा न करने पर 03 मास तक का कारावास का दण्ड भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में दण्ड शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी के पास निहित होगा।

साक्षी साहू,
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत महरौनी,
ललितपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत, फूलपुर, प्रयागराज

26 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 461/न0पं0फूलपुर/2024–इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 461/न0पं0फूलपुर/2024–25 दिनांक 26.09.2024 को उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, फूलपुर द्वारा विविध कर (शुल्क) नियमावली, 2024 उपविधि नगर पंचायत, फूलपुर–प्रयागराज द्वारा नगर पंचायत, सीमा के अन्तर्गत विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली की धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त कर सकता है। तद्क्रम में

नगर पंचायत, फूलपुर द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 26.09.2024 प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तद्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान दिनांक 27.09.2024 एवं दैनिक जागरण दिनांक 27.09.2024 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 26.09.2024 के प्रस्ताव संख्या 03 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

उपविधि

संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ–

1–यह उपविधि ''विविधकर'' (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।

2–यह उपविधि ''नगर पंचायत'', फूलपुर जनपद-प्रयागराज की सीमा मे लागू होगी।

3–यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज में प्रभावी होगी।

परिभाषायें–

1–''अध्यक्ष का तात्पर्य ''नगर पंचायत'', फूलपुर जनपद-प्रयागराज के अध्यक्ष से है।

2–''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज के अधिशासी अधिकारी से है।

3–''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज से है।

1–ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन–

1–नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/ मार्गों पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रू0 500.00 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रू0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

2–किसी स्वामी के मरे हुये छोटे जानवर उठाने पर रू0 500.00 प्रति पशु तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रू0 1,000.00 प्रति पशु।

3–किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चाऊमीन/अन्डा/दुकान एवं ठेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतु रखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रू0 500.00 प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।

4–नगर पंचायत, फूलपुर-जनपद प्रयागराज सीमान्तर्गत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेकना प्रतिबन्धित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 तथा वाटर पॉल्यूशन एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए 2,000.00 रू0 जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।

5–किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रू0 500.00 प्रति प्रकरण।

6–सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग वाल के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के बचे हुये अवशेष नालियों मे डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का

सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरूद्ध करने के बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरूद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रू0 500.00 प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या 3595/नौ–5–2026–29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 की धारा-15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रू0 50,000.00 (पच्चास हजार रूपया) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रू0 5,000.00 से 50,000.00 रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

7–नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होने व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग वाल, गुमटी, धुलाई व फीलिंग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से समान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/ अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रू0 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/ अतिक्रमण नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज के संज्ञान मे आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/ अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रू0 500.00 की दर से वसूल किया जायेगा।

8–नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रू0 5,000.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड़ पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रू0 5000.00 प्रति अद्द प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

9–गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम/अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रू0 1,000.00 प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग 1,000.00/–रू0 प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।

10–नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत महापुरूषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वालपेंटिंग/वालराइटिंग आदि करना प्रतिबन्धित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रू0 3,000.00 देय होगा।

11–नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़ें को पृथक्कृत करते हुये डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुये मकान के सामने कूड़ा डालने, सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लाटों में फेकते हुये पकड़े जाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों /व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 1000.00 रू0 की दर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

12–नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़ें को चार भागों में–सूखे कूड़ें, गीले कूड़ें, हजार्डस कूड़ें तथा सेनेटरी कूड़ें को पृथक्कृत करते हुये निकाय द्वारा डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन

स्वामी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथक्कृत करते नही पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा 500.00 रूपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में वसूल किया जायेगा।

13—डोर—टू—डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर शुल्क रू0 10.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रू0 20.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान की दर से लिया जायेगा।

14—नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा आपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलो ग्राम या इससे अधिक कूड़े का उत्सर्जन अथवा 5,000.00 वर्ग मीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा ।

15—ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 में कचरा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of Waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्रावधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये हैं। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।

बल्क वेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत है—

(1) परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़ें को अलग—अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।

(2) गीले कूड़ें का निस्तारण बायोगैस अथवा कम्पोस्ट पिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।

(3) सूखे कूड़ें को नगर पंचायत अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।

(4) परिसर से निकलने वाले फूल पत्ती (Horticulture and Garden Waste) जैसे अपशिष्टों का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।

(5) परिसर में निकलने वाले मलवों, मिट्टी (Construction & Demolition Waste) का निस्तारण Construction & Demolition Waste Management Rules 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशा में परिसर के बाहर मलवों, मिट्टी फेकना प्रतिबन्धित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

16—बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नही करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2—फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबन्धन—

1—हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम, 2013 के क्रम में फूलपुर जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबन्धित है।

2—फूलपुर जनपद-प्रयागराज की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रू0 05.00 लिया जायेगा।

3—नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रू0 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रू0 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रू0 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।

4—नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि रू0 50000/—वसूल करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।

5—नगर पंचायत फूलपुर जनपद-प्रयागराज सीमार्न्तगत समस्त प्राइवेट डी0—स्लजिंग आपरेटर सेप्टिंक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी—स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी0—स्लजिंग आपरेटर कीं स्वयं की होगी।

6—नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज से डी—स्लजिंग कार्य हेतु लाईसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओएसएस (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढ़ों) आदि में किये जाने पर जुर्माना/ अर्थदण्ड देने के लिये उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

7—नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी—स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें टोल फ्री नम्बर-14420 तथा 1533 या मोबाईल नम्बर—9889911885पर सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।

8—नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी,) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढ़ों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भू-स्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन, जुर्माना/अर्थदण्ड के भागी होंगे, तथा उनकें खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

9—नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2—3 वर्ष के अन्दर सेप्टिंक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत फूलपुर अथवा लाइसेंस प्राप्त डी—स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु0—1500.00/— रू0 अथवा (समय—समय पर मा0 बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।

10—सेप्टिंक टैंक/ओएसएस का डिजाईन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय—समय पर यथाः संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंन्ट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत

फूलपुर या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिंक टैंक/ओएसएस से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउटलेट न हों।

11—नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्च स्तरीय नागरिक हितैसी सेवायें रख—रखाव एवं आवश्यक सुविधायें नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल वेंच मार्क निर्धारित किये गये है जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/ सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपर वाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल वेंच मार्क की विस्तृत जानकारी चाहियें ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

12—नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल वेंच मार्क निम्नवत है।

क्र0 सं0	सेवा का प्रकार	मानक लक्ष्य	अर्थदण्ड की स्थिति
1	2	3	4
			रु0
1.	केयर टेकर का नाम, मो0 नं0, टॉयलेट आई0डी0, सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होन का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रण्ट दीवाल पर अंकित	200.00
2.	जल की उपलब्धता	24 घण्टें	200.00
3.	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल0ई0डी0 लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी/इक्झास फैन द्वारा	500.00
4.	सेप्टिक टैंक/सीवरेज की व्यवस्था	समस्त शौचालयों में	500.00
5.	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घण्टें में	100.00
6.	शौचालयों को ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लेटफार्म में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था।	समस्त शौचालयों आनलाइन मैप में उपलब्ध	1000.00
7.	दिव्यांग हितैषी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प की उपलब्धता	प्रत्येक शौचालयों में 01—01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।	5000.00
8.	सीट, बेसिन फर्स, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्ड ड्रायर, सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ—सफाई	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	500.00

1	2	3	4
			रु0
9.	साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्पिक, एयर फ्रैशनर (ओडोनिल) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल/टीसू पेपर तथा सफाई कर्मी, सुरक्षा पहनावें जैसे ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200.00
10.	सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टविन की उपलब्धता	समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टविन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर	200.00
11.	शौचालय के फ्रण्ट पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर	200.00
12.	महिला तथा पुरूष हेतु अलग–अलग व्यवस्थायें।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरूषों हेतु पार्टीशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थायें जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉस वेसिन उपलब्ध।	200.00

3–निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन–

(1) नगर पंचायत फूलपुर जनपद-प्रयागराज के सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200.00 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20.00 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों को नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(2) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिये शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।

(3) निकाय सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू–स्वामि/संस्थान/व्यक्ति के लिये निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर–1533 तथा मोबाइल नम्बर–9889911885 पर सम्पर्क कर सूचित करते हुये निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे0सी0बी0 निर्धारित शुल्क मु0 2000.00 रुपये प्रति घंटे तथा ट्रेक्टर ट्राली प्रति ट्रीप 1500.00 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पार्कों में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू–स्वामि को चिन्हित करते हुये जूर्माना धनराशि मु0–2000.00 रुपये वसूल किया जायेगा।

4–प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन–

(1) भारत सरकार का राजपत्र सं0–178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम-2016 तथा भारत का राजपत्र सं0–459 नई दिल्ली 12 अगस्त,2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन (संशोधन) नियम-2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई, 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।

(2) 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

(3) 1 जुलाई, 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबन्धित किया गया है–

(क) पोलीस्टाईरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल–प्रयोग–प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।

(ख) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर वड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंड़ी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पालेस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावटी समाग्री आदि।

(ग) जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, कांटें, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द–गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैके, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी0बी0सी0 बैनर, स्टीकर का भी 1 जुलाई, 2022 से प्रयोग प्रतिबन्धित कर दिया गया उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जुर्माना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है। जो नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज में भी लागू है।

क्रम सं	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	जुर्माना धनराशि रूपयों में
1	2	3
		रु0
(क) 1	100 ग्राम तक	1,000.00
2	101 ग्राम – 500 ग्राम	2,000.00
3	501 ग्राम – 01 किलोग्राम	5,000.00
4	01 किलोग्राम – 05 किलोग्राम	10,000.00
5	05 किलोग्राम से अधिक	25,000.00

1	2	3
		रु0
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/षैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक/प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्को, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेके जाने पर।	25,000.00
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्ही निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों।	1,000.00

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नही होगा।

5–जल मूल्य वर्गीकरण एवं निर्धारण –

नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में वर्तमान में केवल घरेलू कनेक्शन हेतु 30.00 रूपये प्रति माह लिया जाता हैं। इसे निम्नवत तालिका के अनुसार परिवर्तित किया जाता है।

क्र0 सं0	कनेक्शन का वर्गीकरण	शुल्क प्रति माह रूपयों में
		रु0
1	घरेलू कनेक्शन	30.00
2	व्यवसायिक कनेक्शन	35.00
3	औद्योगिक कनेक्शन	100.00

उक्त शुल्क में प्रत्येक दो वर्ष में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। नये कनेक्शन हेतु रूपये 630.00 निर्धारित किया जाता हैं।

नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज द्वारा बनाये गये उपविधि ''विविधकर'' (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत, फूलपुर जनपद-प्रयागराज बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नही होगा।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि ''विविधकर'' (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि ''विविधकर'' (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

अमर नाथ यादव,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, फूलपुर,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम जगदीश कुमार जायसवाल और माता का नाम श्रीमती मंजू जायसवाल है, जो उनके आधार कार्ड , पैन कार्ड, शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक 23230199) और इण्टरमीडिएट अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक 23704285) में मेरे पिता का नाम जगदीश जायसवाल, और माता का नाम प्रिया जायसवाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शगुन जायसवाल,
पुत्री श्री जगदीश कुमार जायसवाल,
नि0 कटरा मेदनीगंज, प्रतापगढ़ उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आरव सिंह पुत्र अभिनव कुमार सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–7520 7691 9731 में उसका नाम गौतम सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आरव सिंह पुत्र अभिनव कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अभिनव कुमार सिंह,
म0 नं0 एस–26/232, ए 2बी–एम,
विश्वनाथपुरी कालोनी, टकटकपुर,
गैस गोदाम के पास, अनौला, वाराणसी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम ज्योति गुप्ता पुत्री ज्ञानचन्द्र गुप्ता है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड सं0–3321 8858 3510 में उसका नाम खुशी साहू पुत्री ज्ञानचन्द्र साहू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम ज्योति गुप्ता पुत्री ज्ञानचन्द्र गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ज्ञानचन्द्र गुप्ता,
पुत्र राजाराम गुप्ता,
नि0 ग्राम–करेहा, करछना, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हेत्विक कुमार सिंह है (HETVIK KUMAR SINGH) पुत्र हिमांशु कुमार सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–5386 0635 8296 में उसका नाम अयांश कुमार सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य मे मेरे पुत्र का उसके सही नाम हेत्विक कुमार सिंह (HETVIK KUMAR SINGH) पुत्र हिमांशु कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत्दद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

हिमांशु कुमार सिंह,
पता–स 3/557 विनीत खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम तनुष गुप्ता पुत्र दीपक कुमार गुप्ता है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र का आधार कार्ड सं0–6100 2979 6119 में उसका नाम शौर्य गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम तनुष गुप्ता पुत्र दीपक कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दीपक कुमार गुप्ता,
निवासी– ई0 खपरा मोहाल कैन्ट
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कौशिक गुप्ता पुत्र उदय प्रकाश गुप्ता है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9348 0532 4397 में उसका नाम शिवा गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कौशिक गुप्ता पुत्र उदय प्रकाश गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

उदय प्रकाश गुप्ता,
नि0 105/711 आनन्द बाग,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रगति राय पुत्री विश्व प्रकाश राय है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या–4746 4573 7893 में मेरा नाम पल्लवी राय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रगति राय पुत्री विश्व प्रकाश राय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्दद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रगति राय पुत्री विश्व प्रकाश राय,
पता–धनहां नायक, श्याम देउरवा,
परतावल बाजार, जिला–महराजगंज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अपूर्वा शर्मा पुत्री राजेश शर्मा है जो शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम अनी शर्मा अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अपूर्वा शर्मा पुत्री राजेश शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजेश शर्मा,
पुत्र–स्व0 श्यामल प्रसाद,
निवासी–म0नं0 218/8, परदेवनपुर,
लाल बंगला, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरी पुत्री का सही नाम नन्दिनी यादव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड संख्या–3455 0753 2374 में अक्षारा यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को सही नाम नन्दिनी यादव पुत्री हरीश चंद्र यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हरीश चंद्र यादव,
निवासी झलवा, पीपल गाँव,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ''रामाश्रय प्रसाद'' है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र सौरभ निषाद के हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक–23286058) में मेरा नाम ''रामाश्रया'' हो गया है जो कि गलत है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रामाश्रय प्रसाद,
ग्राम–रजला, पोस्ट–नियार,
जिला वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयुष यादव पुत्र हर्ष बहादुर यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–7550 6853 6340 में उसका नाम शिवेश यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयुष यादव पुत्र हर्ष बहादुर यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हर्ष बहादुर यादव,
पता–ग्राम धरियामऊ, पो0 भरखरे,
जिला सुल्तानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम तन्मय कुमार पुत्र मनोज कुमार है जो कि मेरे आधार कार्ड एवं सभी शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे एल आई सी बान्ड पालिसी सं0–313371130 में मेरा नाम शुभ श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है, उपरोक्त दोनो नाम मेरे ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम तन्मय कुमार पुत्र मनोज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

तन्मय कुमार पुत्र मनोज कुमार,
निवासी–प्लाट नं0 36, चन्द्रशेखर स्कूल रोड,
गंगापुर, गोपाल नगर किदवई नगर,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सानवी गुप्ता (SANVI GUPTA) पुत्री राजेश चन्द्र है, जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–2794 9456 8196 में पुत्री का नाम पुहुप (PUHUP) अंकित हो गया है जो कि गलत है और स्कूल में सानवी गुप्ता (SANVI GUPTA) पुत्री राजेश चन्द्र है, जो सही नाम है। उसके स्कूल विधावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल बॉदा के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में भी अंकित है। भविष्य में मेरी पुत्री को सही नाम सानवी गुप्ता (SANVI GUPTA) पुत्री राजेश चन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजेश चन्द्र पुत्र रामनारायण गुप्त
निवासी 4/23 रंगोली कॉलोनी रामगंगा
बिहार मुरादाबाद, उ0प्र0

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ईशिता जायसवाल बालिग पुत्री विजय प्रकाश है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों पैन कार्ड व आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0 234324485 में मेरा नाम चीनी जायसवाल अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ईशिता जायसवाल बालिग पुत्री विजय प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ईशिता जायसवाल बालिग,
पुत्री विजय प्रकाश,
निवासी–32 कबीरपथ छावनी कैंट,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रानी शर्मा पत्नी मनोज शर्मा है जो कि मेरे आधार, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल0 आई0सी0 पालिसी सं0–233413042, 233675614 में मेरा नाम स्नेहलता शर्मा अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे रानी शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रानी शर्मा,
पत्नी मनोज शर्मा,
निवासिनी डाकतार कालोनी शुक्लागंज,
पीपरखेड़ा, जिला उन्नाव उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम रश्मि गौतम पुत्री शिव प्रकाश है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–5502 2379 9297 में उसका नाम सिमी गौतम अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रश्मि गौतम पुत्री शिव प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिव प्रकाश,
पता–बिहका उर्फ पूरामुफ्ती,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम तारा देवी पत्नी स्व0 राजकुमार सिंह है। जो मेरे बैंक पासबुक, E.S.M. आर्मी हेल्थ कार्ड तथा मेरे पति के सेवा से संम्बन्धित अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0–6889 6640 6503 में मेरा नाम तारामती देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम तारा देवी पत्नी स्व0 राजकुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

तारा देवी,
पत्नी स्व0 राजकुमार सिंह,
निवासी–10 ग्राम जमूहार, नहर के पास,
मिर्जापुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विराट अवस्थी वयस्क पुत्र राम सुंदर अवस्थी है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश पॉलिसी सं0–238046283 में मेरा नाम हर्ष अवस्थी अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विराट अवस्थी वयस्क पुत्र राम सुंदर अवस्थी के नाम से जाना व पहचाना जाये

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विराट अवस्थी वयस्क,
पुत्र राम सुंदर अवस्थी,
निवासी–जल्लापुर, महैरा, कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंश दुबे (ANSH DUBEY) पुत्र हर्षित दुबे है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9406 6437 0379 में नाम श्रीजल दुबे (SHRIJAL DUBEY) अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंश दुबे (ANSH DUBEY) पुत्र हर्षित दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

हर्षित दुबे,
पुत्र श्रीकांत दुबे,
निवासी–128/122 डी– ब्लाक,
किदवई नगर कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वैभव मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। मैने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम वैभव मिश्रा से बदलकर अभि मिश्र रखा लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अभि मिश्र पुत्र विनीत कुमार मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनीत कुमार मिश्र,
पुत्र स्व0 तारकेश्वर नाथ मिश्र,
सा0मौ0– विशुनपुर, उर्फ गोविन्दपुर,
पो0–फतेहगंज, जिला–जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम परीधी PARIDHI पुत्री इन्द्र मणि है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0–9447 6992 0634 में उसका नाम परीधी मौर्य अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है भविष्य में मेरे पुत्री को इसके सही नाम परीधी PARIDHI पुत्री इन्द्र मणि के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

इन्द्र मणि,
पता–हरदीहा, पोस्ट–सिलौधी,
मेजा, सुरैचा, इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सूरज कुमार (SURAJ KUMAR) पुत्र इन्द्र मणि है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–6406 6797 2172 में उसका नाम सूरज कुमार मौर्य अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सूरज कुमार SURAJ KUMAR पुत्र इन्द्र मणि के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

इन्द्र मणि,
पता–हरदीहा, पोस्ट–सिलौधी,
मेजा, सुरैचा, इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम संतराम पुत्र रामकिशुन है जो मेरे पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड तथा मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–8702 8805 8297 में मेरा नाम सीताराम अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम संतराम पुत्र रामकिशुन के नाम जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संतराम पुत्र रामकिशुन,
निवासी–लहारिया पुरवा उरई,
जिला जालौन।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मृदुषा मेहरोत्रा पुत्री मृदुल मेहरोत्रा है । जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है। शादी के बाद मैं अपना नाम बदलकर मृदुषा हवेलिया पत्नी श्री समर्थ हवेलिया कर रही हूँ। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम मृदुषा हवेलिया पत्नी समर्थ हवेलिया के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मृदुषा मेहरोत्रा,
पुत्री मृदुल मेहरोत्रा,
एच0आई0जी0 91 बिशांता सेक्टर,
ई0 अलीगंज, लखनऊ।

सूचना

मेरा तथा मेरी पत्नी का सही नाम क्रमशः दीपक कुमार दूबे (DEEPAK KUMAR DUBEY), प्रज्ञा गोस्वामी (PRAGYA GOSWAMI) है। जो हम लोगो के आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक सं0 23203523/2024) में मेरा तथा मेरी पत्नी का नाम क्रमशः दीपक दूबे (DEEPAK DUBEY), प्रज्ञा दुबे (PRAGYA DUBEY) अंकित हो गया है जो कि गलत है।

दीपक कुमार दूबे
शिव मंदिर के पास,
ग्राम कोछाभंवर, झांसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य सिंह यादव पुत्र संदीप कुमार है, जो मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में तथा आधार कार्ड संख्या–7119 8660 5853 में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में उसका नाम आदित्य सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य सिंह यादव पुत्र संदीप कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संदीप कुमार,
पता–नौकापुरा लंका,
गाजीपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम जान्हवी सिंह पुत्री हनुमान सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री का आधार कार्ड सं0–8608 3294 2360 में उसका नाम आराध्या सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम जान्हवी सिंह पुत्री हनुमान सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हनुमान सिंह,
पता–67, गाँधी नगर,
नैनी प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विकास तिवारी पुत्र शिव प्रकाश तिवारी है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–3452 6551 6336 में उसका नाम वैभव तिवारी अंकित हो गया है। जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विकास तिवारी पुत्र शिव प्रकाश तिवारी के नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिव प्रकाश तिवारी,
पता–ग्राम व पोस्ट-पंचगवाँ,
तहसील बीकापुर, जिला अयोध्या।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रज्ञान पुत्र वैभव चतुर्वेदी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 7853 1915 9844 में उसका नाम सारांश अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रज्ञान पुत्र वैभव चतुर्वेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

वैभव चतुर्वेदी,
पुत्र आर0एस0 चतुर्वेदी,
पता– ग्राम गैण्डास बुर्जुग उतरौला,
जनपद बलरामपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अखिलेश पुत्र कलेक्टर गुप्ता है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–3232 3614 6943 में उसका नाम आकाश अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अखिलेश पुत्र कलेक्टर गुप्ता के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

परमिला गुप्ता,
पत्नी कलेक्टर गुप्ता,
नि0–करहरगरौली मिर्जापुर,
कछवा, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नाव्या सिंह (NAVYA SINGH) पुत्री नरेन्द्र प्रताप सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–2754 9033 6556 में उसका नाम जान्हवी सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नरेन्द्र प्रताप सिंह,
पता–789/13 लोधवारी कोठी,
कचहरी रोड, पोस्ट–रायबरेली,
जनपद–रायबरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता एवं पिता का सही नाम परमजीत कौर तथा हरजीत सिंह है जो कि उनके आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में अंकित है परन्तु त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 5078004 वर्ष 2016 एवं इन्टर के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक सं0–5680554 वर्ष 2018 में माता का नाम पिंकी चढढा एवं पिता का नाम हरजीत सिंह चढढा हो गया है, जो कि गलत है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

करीना चढढा,
निवासी–111ए/12 बी अशोक नगर,
कानपुर नगर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 दिवाकर कुंवर है जो मेरे पति के सेवा से सम्बन्धित अभिलेख में, बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड तथा उप जिलाधिकारी द्वारा जॉच आख्या में अंकित है। मेरे आधार कार्ड सं0–7577 8463 3122, में मेरा नाम शकुन्तला कुंवर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 दिवाकर कुंवर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शकुन्तला देवी,
पत्नी स्व0 दिवाकर कुंवर,
निवासी– ई डी–196,
एडीए कालोनी नैनी प्रयागराज।

सूचना

मैं जय प्रकाश सिंह पुत्र श्री विजय पाल सिंह निवासी ग्राम व पो0 तेजगांव पिन 229215 जनपद रायबरेली उ0प्र0 सुचित करता हूँ कि मेरी पत्नी का सही

नाम विभा सिंह पुत्री श्री उमेश्वर प्रताप सिंह पत्नी जय प्रकाश सिंह जो उनके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड तथा पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पासपोर्ट सं0–एच0 0871683 में मेरी पत्नी का नाम प्रभा सिंह अंकित हो गया है जो उनका घरेलू नाम है। इसी प्रकार मेरे गांव का नाम JEJGAOWN गलत अंकित हो गया है। जब कि मेरे गांव का सही नाम TEJGAON है।

जय प्रकाश सिंह

सूचना

मैं प्रांजली यादव (बालिग) पुत्री अपरबल यादव निवासी-सेक्टर-6ए/848, वृन्दावन योजना, सी0एन0जी0 स्टेशन के पास, वृन्दावन कॉलोनी, लखनऊ, उ0प्र0-226029 सूचित करती हूँ कि मेरे प्रमाण पत्र में मेरे पिता का नाम त्रुटिवश ए0बी0 यादव (AB Yadav) अंकित हो गया है जबकि सही नाम अपरबल यादव (APARBAL YADAV) है। दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

प्रांजली यादव

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सहर अग्रवाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में भी अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–5025 3279 6505 में पुत्री का नाम पिहू अग्रवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को सही नाम सहर अग्रवाल पुत्री शुभम अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शुभम अग्रवाल,
पुत्र स्व0 सुशील अग्रवाल,
निवासी–4/1 सराय खुल्दाबाद,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हर्षवर्धन द्विवेदी पुत्र नीरज कुमार द्विवेदी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–2751 7099 7229 में उसका नाम अजय कुमार द्विवेदी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हर्षवर्धन द्विवेदी पुत्र नीरज कुमार द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नीरज कुमार द्विवेदी,
पता–ग्राम हसनपुर पो0 आलापुर,
कुण्डा प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम SIDDHARTH PATEL वयस्क पुत्र श्री VINOD UTTAM है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड पैन कार्ड में अंकित है, त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेख में मेरा नाम SIDDHARTH PALEL वयस्क पुत्र श्री VINOD UTTAM अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम SIDDHARTH PATEL वयस्क पुत्र श्री VINOD UTTAM के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

SIDDHARTH PATEL
Vill. & Post--Prempur
Dist.-Kanpur Nagar (U.P.)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम नीरज केला NIRAJ KELA और यही नाम मेरे सभी रिकॉर्डस में भी दर्ज है। मुझे निम्नलिखित कम्पनियों से

कुछ शेयर्स अलाट हुये थे पर किसी त्रुटिवश उन शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज मेरे नाम में कुछ गलतियां हो गयी है।

1–मुझे पंजाब नेशनल बैंक के शेयर सर्टिफिकेट संख्या 21741 एवं फोलियो संख्या 1168408 के द्वारा 115 शेयर्स जिनकी विशिष्ट संख्या 6738971285 से 6738971399 है में मेरा नाम NEERAJ KELA दर्ज है। जबकि मेरे नाम की सही स्पेलिंग NIRAJ KELA है। यह दोनों एक ही व्यक्ति है।

2–मुझे मंगलौर रिफाइनरी एवं पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड के शेयर के सर्टिफिकेट संख्या 2400110 फोलियो नं0 0359639 के द्वारा 100 शेयर्स जिनकी विशिष्ट संख्या 371683151 से 371683250 है में मेरी पत्नी के शादी के पूर्व का नाम RENU MAHESHWARI और मेरा नाम NIRAJ MAHESHWARI गलत अंकित हो गया है। जबकि शादी के बाद मेरी पत्नी का नाम RENU KELA हो गया है और RENU MAHESHWARI और RENU KELA एक ही व्यक्ति है। और इसी सर्टिफिकेट में मेरा नाम NIRAJ MAHESHWARI गलत लिखा गया है जबकि वास्तविक नाम NIRAJ KELA है NIRAJ MAHESHWARI और NIRAJ KELA एक ही व्यक्ति का नाम है।

3–मुझे मंगलौर रिफाइनरी एवं पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड के एक अन्य शेयर सर्टिफिकेट संख्या 359789 एवं फोलियो संख्या 359639 में दर्ज 100 शेयर्स जिनकी विशिष्ट संख्या 253337301 से 253337400 है। उसमें मेरी पत्नी का शादी के पूर्व का नाम RENU MAHESHWARI और मेरा नाम NIRAJ MAHESHWARI अंकित हो गया है। जबकि शादी के बाद मेरी पत्नी का नाम RENU KELA हो गया है। और RENU MAHESHWARI और RENU KELA एक ही व्यक्ति है तथा इसी सर्टिफिकेट में मेरा नाम NIRAJ MAHESHWARI गलत लिखा गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम NIRAJ KELA है और NIRAJ MAHESHWARI और NIRAJ KELA एक ही व्यक्ति है।

NIRAJ KELA
S/o Late B. S. Kela
Add. E-401-Celebrity Garden
Sushant Golf city, Behind-Lulu Mall
Sultanpur Road, Lucknow-226030

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी तथा मेरी पुत्री का सही नाम क्रमशः कनकलता मणि त्रिपाठी व अनुष्का मणि त्रिपाठी है जो हम लोगों के आधार कार्ड व पैन कार्ड तथा सभी अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 23147944 में मेरा व मेरी पुत्री का नाम कनकलता त्रिपाठी व अनुष्का त्रिपाठी अंकित हो गया है जो गलत है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कनकलता मणि त्रिपाठी
पत्नी श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी
2/39 नाथ नगर, देवरिया
थाना सदर कोतवाली, देवरिया, उ0प्र0

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s SHRI KEDAR INFRASTRUCTURE पता–92 मौहल्ला कोठी वाला, सुल्तानपुर चिलकाना देहात सहारनपुर उ0प्र0 –247231 जिसकी पंजीकरण सं0 SAH/0018466 दिनांक 13.06.2024 उक्त फर्म में 1–अजय कुमार सैनी पुत्र श्री राजपाल सिंह सैनी निवासी म0नं0 92 मौहल्ला कोठी वाला, सुल्तानपुर चिलकाना देहात सहारनपुर उ0प्र0 –247231, 2–वैभव कुमार सैनी पुत्र श्री हुकुम सिंह निवासी म0नं0 सी–22 दून एन्केलव बंसल होम माजरा देहरादून उत्तराखण्ड–248171, 3–अनस खान पुत्र श्री मुकर्रम खान निवासी तिरफुआ, तिरुफुआ सहारनपुर उ0प्र0 –247231, उमर खान पुत्र श्री मुशब्बर खान निवासी तिरुफुआ सहारनपुर उ0प्र0 –247231 पार्टनर थे, संजय कुमार पुत्र श्री महिंदर कुमार निवासी बरथाकायस्थ, तिरफुआ सहारनपुर उ0प्र0 –247231, नौशाद खान पुत्र श्री इरशाद निवासी 11 विकास नगर रोड, गांव इस्माइलपुर अम्बेहटा मुस्त सहारनपुर उ0प्र0 247121, निकुंज आहूजा पुत्र श्री ऋषि गोपाल निवासी म0नं0 751, गांधी कालोनी–4 मुजफ्फरनगर, उ0प्र0–251001 फर्म में सम्मिलित हुये है,

अब फर्म में 1–अजय कुमार सैनी, 2–वैभव कुमार सैनी, 3–अनस खान, 4–उमर खान, 5–संजय कुमार, 6–नौशाद खान व 7–निकुंज आहूजा साझीदार है, फर्म में कोई विवाद नहीं है।

Ajay Saini
पार्टनर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम गुन्न जायसवाल पुत्री सतीश जायसवाल है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश पॉलिसी सं0 233257080 में मेरा नाम त्वशता अंकित हो गया है जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम गुन्न जायसवाल पुत्री सतीश जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

गुन्न जायसवाल बालिग
पुत्री सतीश जायसवाल
निवासिनी 74/189, धनकुटटी,
कानपुर नगर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम खुशी सिंह बालिग पुत्री जितेन्द्र सिंह है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में अंकित है। त्रुटिवश पॉलिसी सं0 233423398 में मेरा नाम शशी सिंह अंकित हो गया है जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम खुशी सिंह बालिग पुत्री जितेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

खुशी सिंह बालिग पुत्री जितेन्द्र सिंह
निवासिनी ग्राम मलासा,
कानपुर देहात–209312

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम यदुराज सिंह पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम महकापुर, कानपुर देहात–209112 है। जो कि मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेख, आधार, पैन कार्ड व बैंक पासबुक में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0 233769364 में मेरा नाम सौरभ यादव अंकित हो गया है जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम यदुराज सिंह पुत्र जयवीर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

यदुराज सिंह
पुत्र जयवीर सिंह
निवासी ग्राम महकापुर,
कानपुर देहात–209112

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0 हर्ष डवलपर्स 294/2 नगला करन सिंह फिरोजाबाद में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

दिनांक 26.08.2020 को श्री अमन शेखर की मृत्यु होने के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती संघमित्रा को फर्म की पुर्नगठित साझेदारीनामा विलेख दिनांक 10.10.2020 को सम्मिलित किया गया वर्तमान फर्म में साझेदार श्रीमती संघमित्रा, श्री हिमांशु एवं श्री प्रवेश कुमार है।

श्रीमती संघमित्रा
साझेदार
मे0 हर्ष डवलपर्स
294/2 नगला करन सिंह फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0 ऋषिराज कन्स्ट्रक्शन पता–मेघदूत होटल के पास पचौरी कम्पाउण्ड, कचहरी रोड मैनपुरी में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

दिनांक 28.03.2025 को श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री बाबूराम निवासी 181 देवपुरा मैनपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हुये तद्दिनांक को श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री बंगाली सिंह फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुई अब वर्तमान फर्म में भागीदार श्रीमती वन्दना यादव, श्री सन्दीप कुमार, श्रीमती कमला देवी भागीदार है।

श्रीमती वन्दना यादव
साझेदार
मे0 ऋषिराज कन्स्ट्रक्शन
पता–मेघदूत होटल के पास पचौरी
कम्पाउण्ड, कचहरी रोड मैनपुरी।

सूचना

फर्म मेसर्स भूमि इन्डेन सेवा, सिखेड़ा ब्लाक जानसठ तह0 जानसठ जि0 मुजफफरनगर का रजिस्ट्रेशन कार्या0 सहा0 निबन्धक फर्म सोसायटी एवं चिट्स स0 पुर मण्डल स0 पुर से दिनांक 02.04.2022 को हुआ था। फर्म में रजिस्ट्रेशन के समय श्रीमती नीलम तोमर पत्नी रविन्द्र कुमार तोमर नि0एम0ओ0डी0 43/464 शिवकुंज कालोनी कैलाश रोड, आगरा हॉल पता 315 फेस–1 पार्क नं0 8, सुरेन्द्र नगर मुजफ्फरनगर व रविन्द्र कुमार तोमर पुत्र जयपाल सिंह तोमर नि0एम0ओ0डी0 43/464 शिवकुंज कालोनी कैलाश रोड, आगरा हॉल पता सुरेन्द्र नगर, जानसठ रोड मुजफ्फरनगर पार्टनर थे। दिनांक 13.01.2025 को फर्म में से श्रीमती नीलम तोमर ने फर्म से अपना हिसाब किताब करके त्याग पत्र दे दिया और शपथकर्ता के स्थान पर उसी दिनांक 13.01.2025 को विजय कुमार पुत्र बाबूराम नि0 ग्राम सिखेड़ा डा0 कवाल तह0 जानसठ जि0 मुजफफरनगर फर्म में अपने हिस्से की धनराशि देकर पार्टनर बन गये है। वर्तमान में फर्म में रविन्द्र कुमार तोमर व विजय कुमार पार्टनर रह गये।

रविन्द्र कुमार तोमर पुत्र जयपाल सिंह तोमर
नि0एम0ओ0डी0 43/464 शिवकुंज कालोनी
कैलाश रोड, आगरा
हॉल पता सुरेन्द्र नगर, जानसठ रोड मुजफ्फरनगर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है फर्म भोपा इण्डेन सेवा, ग्राम व पो0 भोपा, मुजफ्फरनगर का रजिस्ट्रेशन कार्या0 सहायक निबन्धक फर्म सोसायटी एवं चिट्स स0पुर मण्डल स0पुर से दिनांक 12.12.2018 को हुआ था। फर्म में रजिस्ट्रेशन के समय श्रीमती अनुभा पत्नी मनोज कुमार नि0 ग्राम व पो0 भोपा जि0 मुजफ्फरनगर व मनोज कुमार पुत्र नाहर सिंह नि0 ग्राम व पो0 भोपा जि0 मुजफ्फरनगर पार्टनर थे। दिनांक 26.10.2024 को फर्म में से मनोज कुमार पुत्र नाहर सिंह नि0 ग्राम व पो0 भोपा जि0 मुजफ्फरनगर ने फर्म से त्याग पत्र दे दिया और उनके स्थान पर उसी दिनांक 26.10.2024 गौरव कुमार गुप्ता पुत्र श्री कृष्णवीर गुप्ता नि0 ग्राम व पो0 जि0 मुजफ्फरनगर आ गये वर्तमान में फर्म में गौरव कुमार गुप्ता व श्रीमती अनुभा पार्टनर रह गये है।

अनुभा
पार्टनर
पत्नी मनोज कुमार
निवासी ग्राम व पोस्ट भोपा
जिला मुजफ्फरनगर।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है मेसर्स कल्याणी जियोटेक, फ्लैट नं0–2 ए 16, चर्च रोड (शिव शक्ति अपार्टमेन्ट), विष्णुपुरी, अलीगंज, जिला लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में दो साझेदार श्री सन्दीप कुमार सिंह पुत्र श्री चन्द्र भूषण सिंह एवं श्रीमती रिचा सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह थे। जिसमें दिनांक 11.03.2025 से फर्म की साझेदारी में एक नये साझेदार श्री राजेश कुमार सिंह पुत्र श्री श्रवण कुमार सिंह नये शामिल हो गये है तथा फर्म की पुरानी साझेदार श्रीमती रिचा सिंह इसी दिनांक 11.03.2025 से आपसी सहमति से स्वेच्छापूर्वक फर्म की साझेदारी से निकल गये है। वर्तमान में दो साझेदार क्रमशः श्री सन्दीप कुमार सिंह श्री राजेश कुमार सिंह साझेदार है

सन्दीप कुमार सिंह
साझेदार
कल्याणी जियोटेक
जिला–लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ''कपूर मोटर स्टोर्स'', पता–कपूर कम्पनी, मुरादाबाद

(यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 31.01.2025 को ए0एन0 कपूर पुत्र बी0एल0 कपूर रिटायर हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्री राज कुमार कपूर व श्री सौरभ कपूर रह गये हैं।

राज कुमार कपूर
पार्टनर
फर्म मेसर्स "कपूर मोटर स्टोर्स",
पता–कपूर कम्पनी, मुरादाबाद (यू0पी0)

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है मेसर्स जे0के0 रोड लाइन्स, भवन चुंगी लोनार बस अड्डा हरदोई की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें दो साझेदार श्री जय किशन गुप्ता पुत्र स्व0 राम प्रकाश गुप्ता एवं श्री विजय शंकर गुप्ता पुत्र श्री राम प्रकाश गुप्ता, जिसमें एक नये साझेदार श्री ध्रुव गुप्ता पुत्र श्री प्रदीप गुप्ता दिनांक 25.02.2025 से नये शामिल हो गये है तथा एक साझेदार श्री जय किशन गुप्ता इसी दिनांक 25.02.2025 से फर्म की साझेदारी से निकल गये है। फर्म का पता परिवर्तित होकर नया पता महोलिया शिवपार, हरदोई ग्रामीण हरदोई वर्तमान में फर्म में दो साझेदार श्री ध्रुव गुप्ता एवं श्री विजय शंकर गुप्ता है।

विजय शंकर गुप्ता
साझेदार
मेसर्स जे0के0 रोड लाइन्स,
जिला–हरदोई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गोयल इस्पात, 23 नया गंज, गाजियाबाद–201001 की साझीदारी दिनांक 01.02.2012 के अनुसार फर्म की साझेदारी में श्री मानवेन्द्र गोयल एवं श्रीमती पुष्पा रानी गोयल साझीदार थे। दिनांक 27.12.2024 को श्री राघवेन्द्र गोयल फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये तथा दिनांक 27.12.2024 को श्रीमती पुष्पा रानी गोयल फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब–किताब ले–देकर अलग हो गयी है। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 27.12.2024 के अनुसार श्री मानवेन्द्र गोयल एवं श्री राघवेन्द्र गोयल हैं तथा दिनांक 27.12.2024 के अनुसार फर्म के साझीदार श्री मानवेन्द्र गोयल का निवास का पता के0आई0–6, कविनगर, गाजियाबाद–201002 हो गया है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मानवेन्द्र गोयल
साझीदार
मेसर्स गोयल इस्पात
23, नया गंज, गाजियाबाद–201001

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स डिम्पल एसोसियेट्स 68 मेरठ रोड, प्रेम एन्क्लेव, अपोजिट दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद–201001 की साझेदारी में श्री जितेन्द्र कुमार एवं श्री सचिन साझेदार थे। दिनांक 05.03.2025 को श्री सन्नी पांचाल फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हुये है। दिनांक 05.03.2025 को श्री सचिन अपना हिसाब–किताब ले देकर अलग हो गये है। दिनांक 19.03.2025 को साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्री जितेन्द्र कुमार एवं श्री सन्नी पांचाल साझेदार है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जितेन्द्र कुमार
साझेदार
मेसर्स डिम्पल एसोसियेट्स
68 मेरठ रोड, प्रेम एन्क्लेव,
अपोजिट दिल्ली पब्लिक स्कूल,
गाजियाबाद–201001

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस0एस0एस0 इन्फ्रा, शिव नगर, आवास विकास, जिला मैनपुरी में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री शरद चन्द्र, श्री सूरज सिंह, श्री यतेन्द्र सिंह जिला मैनपुरी हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 22.06.2022 को संचालन

की थी। दिनांक 23.03.2025 से श्री संजीव कुमार पुत्र श्री राजकुमार निवासी 208 देवी रोड, जिला मैनपुरी फर्म में साझेदार हो गये है एवं श्री सूरज सिंह फर्म से पृथक हो गये है। अब फर्म को श्री शरद चन्द्र, श्री यतेन्द्र सिंह, श्री संजीव कुमार हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

शरद चन्द्र
साझेदार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पीर एसोसिएट्स पता 2B/5/4 कोर्ट रोड सहारनपुर उ0प्र0–247001 जिसकी पंजीकरण सं0 1299–एस दिनांक 21.06.2012 उक्त फर्म में 1–राकेश नारंग पुत्र श्री मुकन्द लाल निवासी म0नं0 2बी/369/8–23 नियर संजय गांधी पार्क मिशन कम्पाउन्ड, सहारनपुर उ0प्र0–247001, 2–सन्नी अरोरा पुत्र श्री मुकन्द लाल निवासी म0नं0 2बी/369/8–23 नियर संजय गांधी पार्क मिशन कम्पाउन्ड, सहारनपुर उ0प्र0–247001, 3–श्रीमती मोनिका नारंग पत्नी श्री राकेश नारंग निवासी म0नं0 2बी/369/8–23 नियर संजय गांधी पार्क मिशन कम्पाउन्ड, सहारनपुर उ0प्र0–247001, 4–श्रीमती रूचि अरोरा पत्नी श्री सन्नी अरोरा निवासी म0नं0 2बी/369/8–23 नियर संजय गांधी पार्क मिशन कम्पाउन्ड, सहारनपुर उ0प्र0–247001, 5–नितिन जोशी पुत्र श्री अरूण कुमार जोशी निवासी अहमद बाग, कोर्ट रोड सहारनपुर उ0प्र0–247001, 6–श्रीमती जनक अरोरा पत्नी श्री मुकन्द लाल अरोरा निवासी म0नं0 2बी/369/8–23 नियर संजय गांधी पार्क मिशन कम्पाउन्ड, सहारनपुर उ0प्र0–247001, पार्टनर थे, जिसे दो साझीदार नितिन जोशी पुत्र श्री अरूण कुमार जोशी व श्रीमती जनक अरोरा पत्नी श्री मुकन्द लाल अरोरा दिनांक 08.01.2025 को फर्म से स्वेच्छा से निकल गये है। अब फर्म में चार साझीदार क्रमशः 1–राकेश नारंग, 2–सन्नी अरोरा, 3–श्रीमती मोनिका नारंग, 4–श्रीमती रूचि अरोरा साझीदार है, फर्म में कोई विवाद नहीं है।

राकेश नारंग
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै पार्वती देवी पत्नी स्व0 अमर सिंह निवासिनी सुभाष छात्रावास के पीछे एल0यू0 लखनऊ की हूँ। मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम पार्वती देवी पत्नी स्व0 अमर सिंह तथा कुछ अभिलेखों में पार्वती सिंह पत्नी स्व0 अमर सिंह तथा कुछ अभिलेखों में पार्वती पत्नी स्व0 अमर सिंह है उपर्युक्त तीनों मेरे ही नाम है भविष्य में मुझे पार्वती देवी पत्नी स्व0 अमर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औरपचारिकताए मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पार्वती देवी,
सुभाष छात्रावास के पीछे,
एल0यू0, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 हौसला प्रसाद मिश्रा ग्राम डांड़ो, थाना व तहसील करछना, जनपद–प्रयागराज नाम से फर्म पंजीकृत है जिसमें साझेदार नं0-1 हौसला प्रसाद मिश्रा पुत्र स्व0 राम किशोर मिश्र, निवासी डॉडो करछना, प्रयागराज। (85 प्रतिशत) व 2. श्रीमती मिथिलेश कुमारी मिश्रा पत्नी हौसला प्रसाद मिश्रा निवासिनी– 128ए/47ए बी0ए0च0एस0 अल्लापुर प्रयागराज। (15 प्रतिशत) साझेदार है। उक्त फर्म में नये साझेदार के तौर पर श्री अमित तिवारी पुत्र राघवेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी 43ए/4 एम0आई0जी0, अल्लापुर प्रयागराज दिनांक 20 मार्च, 2025 को सम्मिलित हो रहे है नये साझेदारों/वर्तमान साझेदारों का अनुपात क्रमशः

1. हौसला प्रसाद मिश्र (80 प्रतिशत) 2. श्रीमती मिथिलेश कुमारी मिश्र (15 प्रतिशत) 3. श्री अमित तिवारी (05 प्रतिशत) होगा।

मे0 हौसला प्रसाद मिश्र,
डॉडो, करछना, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रद्धा सिंह (Shradha Singh) पुत्री सतीश

चंद्र सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–5055 2962 2402 में उसका नाम श्रद्धा सिंह (Sharadha Singh) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रद्धा सिंह (Shradha Singh) पुत्री सतीश चंद्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सतीश सिंह,
पुत्र सुदर्शन सिंह,
निवासी 120/19 दरभंगा कालोनी,
प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम स्वरा पुत्री रवि शंकर मिश्रा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख आधार कार्ड में अंकित है मैने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम स्वरा से बदलकर अविशा रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को अविशा पुत्री रवि शंकर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रवि शंकर मिश्रा,
पता–37/8/3 के,
चकिया प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–1 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।